नव प्रदेश

www.navpradesh.com

रायपुर, शुक्रवार 3 सितंबर 2021, कृष्ण पक्ष-द्वादशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-203 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए

रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

दुनिया का चौधरी बनने वाला अमेरिका तो अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर बैरंग लौट गया लेकिन पंजशीर के शेर लगातार तालिबान को चुनौती दे रहे है। पंजशीर प्रांत में नार्दन एलायंस ने तालिबान के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है। वहां के लड़ाकों ने और तीन सौ तालिबानियों को ढेर कर दिया और भारी मात्रा में उनके हथियारों व गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। नार्दन एलायंस के जांबाजों ने साबित कर दिया है कि उनमें गजब का हौसला है और वे आतंक के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। पंजशीर के शेरों के जज्बे को सलाम।

राज्य सरकार की नयी औद्योगिक नीति से निवेश के लिए बना वातावरण: सीएम

जनवरी 2022 में ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट, मुख्यमंत्री भूपेश ने 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022' का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' का आयोजन जनवरी 2022 में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 02 सितंबर को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने इन्वेस्टगढ़-छत्तीसगढ़ का लोगो और बेबसाइट भी लांच किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक रायपुर में किया जाएगा। इसके माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक-समुदायों, ग्लोबल कंपनियों, बिजनेस लीडरों, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय व्यवसायियों, व्यापरिक एवं निवेशक संगठनों, सप्लायरों, डिस्ट्रिब्यूटरों, बिजनेस इनोवेटरों, विचारकों, उद्यमियों को एक-दूसरे के नजदीक आने का अवसर मिलेगा।

वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नयी सरकार के गठन के बाद नये औद्योगिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्ववाली सरकार ने नयी उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी हैं। साथ ही उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58 हजार 950 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में इस अवधि में 1564 नयी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

इस समिट के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश के लाभ, परस्पर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

खास-खबर

पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पत्रकार चंदन मित्रा का निधन

नई दिल्ली (वार्ता)। राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं पत्रकार चंदन मित्रा का गुरुवार सुबह निधन हो गया। उनके पुत्र कुशान मित्रा ने इस बात की पुष्टि की है। श्री मित्रा 65 वर्ष के थे। वह भाजपा के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे लेकिन वर्ष 2018 में पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये थे। श्री मित्रा के निधन पर देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है।

कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन के लिए गठित की समिति

नयी दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन करने और इसकी योजना बनाने के लिए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में समिति का गठन किया है जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित नौ लोगों को सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने गुरुवार को यहां बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस समिति के गठन और पदाधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

टीका लगवाएं, भीड़ से बचें और घर पर मनाएं त्योहार...

कोरोना की तीसरी लहर का डर बता सरकार ने की यह अपील

नई दिल्ली (ए.)। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों से वैक्सीन लगवाने और घर पर ही त्योहारों को मनाने की अपील की है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी लोगों को भीड़भाड़ से बचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने से बचना चाहिए। यदि ऐसा करना बेहद जरूरी होता है तो यह ध्यान रखें कि शामिल होने वाले सभी लोगों का टीकाकरण हो चुका हो। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने टीकाकरण कराने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात कही है।

केंद्र ने कहा कि यह सही है कि वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी कोरोना की दूसरी लहर हमारे बीच से गई नहीं है।

सरकार ने कहा कि अब भी देश के 39 जिले चिंता का विषय बने हुए हैं, जहां 31 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसदी से ज्यादा रही है। इसके अलावा 38 जिलों में यह आंकड़ा 5 से 10 फीसदी का है। सरकार के मुताबिक अब तक देश के 16 फीसदी वयस्कों को को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा 54 फीसदी वयस्कों को कम से कम एक टीका लग चुका है।

अब तक देश भर में मिले हैं 300 से ज्यादा डेल्टा प्लस वैरिएंट के केस

सरकार ने सलाह दी कि सभी लोगों को त्योहारों को घरों पर ही मनाना चाहिए। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पहले की तरह ही जारी रहना चाहिए। यही नहीं उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिन्होंने अब तक नहीं लगवाई है। इस बीच हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि देश में, अब तक कोरोना के नए डेल्टा प्लस वैरिएंट के 300 से ज्यादा केस देश भर में मिल चुके हैं।

हिमाचल समेत तीन राज्यों में सभी वयस्कों को लगा पहला टीका

यही नहीं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और दादर एवं नागर हवेली में सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लग चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि तीसरी लहर के आने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन भी रहेगा। ऐसे में भारी भीड़ के बीच जाने से बचना चाहिए। यदि जाना भी है तो कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी है।

खबरों को सांप्रदायिक रंग देना चिंतनीय : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने नियामक तंत्र के अभाव में वेब साइटों और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से 'फेक न्यूज' प्रकाशित और प्रसारित किये जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को माना कि तब्लीगी जमात मामले में मीडिया के एक वर्ग की खबरों में साम्प्रदायिक रंग था, जिससे देश की छवि खराब होती है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि बिना किसी जवाबदेही के वेब पोर्टल पर सामग्री परोसी जा रही है। वे अनाप-शनाप प्रसारित कर रहे हैं। इस देश में सब कुछ एक सांप्रदायिक कोण से दिखाया जाता है।

खंडपीठ निजामुद्दीन मरकज की तब्लीगी जमात वाली घटना के दौरान फर्जी और दुर्भावना से प्रेरित खबरों के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद और पीस पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने कहा कि ये वेब पोर्टल संस्थाओं के खिलाफ बहुत बुरा लिखते हैं। आम आदमी की बात तो छोड़ दी जाये, न्यायाधीशों को भी ये नहीं बख्शते। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि ऐसे तथाकथित मीडिया संस्थान वीआईपी की आवाज सुनते हैं।

केंद्र को जमकर फटकार लगायी थी

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जिन्होंने कहा कि सरकार के पास मीडिया के लगभग सभी अंगों पर अंकुश लगाने के लिए कानून मौजूद है। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भड़काऊ टीवी कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाने को लेकर केंद्र को जमकर फटकार लगायी थी।

'बिग बॉस 13' के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन

मुंबई (वार्ता)। टीवी के जानेमाने अभिनेता और 'बिग बॉस 13' के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वह 40 वर्ष के थे। 'बिग बॉस 13' के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले दवाई खाई थी। लेकिन दवाई कौन सी ली थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दवाई लेने के बाद सिद्धार्थ सुबह सोकर नहीं उठ पाए। सिद्धार्थ शुक्ला की डेड बॉडी फिलहाल मुंबई के कूपर अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि पोस्टमॉर्टम वहीं पर किया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला ने वर्ष 2008 में टीवी शो 'बाबुल का आंगन छूटे ना' से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'जाने पहचाने से अजनबी', 'सीआईडी', 'बालिका वधू' और 'लव यू जिंदगी' जैसे टीवी शोज और कई रियलिटी शोज में नजर आए।सिद्धार्थ शुक्ला ने 'हंप्टी शर्मा की दुलहनिया' फिल्म में भी काम किया था।

जुमे की नमाज के बाद तालिबान करेगा सरकार का ऐलान

नई दिल्ली (ए.)। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अब तालिबान शुक्रवार को नई सरकार का ऐलान करेगा। सूत्रों के मुताबिक तालिबान का विभाग हो चुका है। सरकार का यह ऐलान जुमे की नमाज के बाद किया जाएगा। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। बता दें कि अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। अमेरिकी फौजें भी सोमवार की रात अफगानिस्तान से बाहर निकल गई।

तालिबान से बात के सवाल पर यह बोली मोदी सरकार

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तालिबान को मान्यता देने और अफ्गानिस्तान को लेकर अपनी बात रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने तालिबान से आगे की बैठकों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह हां या नहीं की बात नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अफ्गानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए।

ईपीएफ के नियम में बड़ा बदलाव

■ अब इन खाताधारकों के लिए होंगे 2 अकाउंट

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। ये नियम सिर्फ उन ईपीएफ खाताधारकों के लिए है जिनका योगदान, एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का है। नए नियम के तहत ऐसे खाताधारकों को दो अलग-अलग ईपीएफ अकाउंट मेंटेन करना होगा।

क्यों जरूरी है दो अकाउंट: दरअसल, इसी साल आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक के ईपीएफयोगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने की बात कही थी। इसके लिए गणना में नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था। अब ऐसे ही खाताधारकों को दो अलग-अलग ईपीएफअकाउंट मेंटेन करना होगा। इसी आधार पर ही टैक्स की गणना की जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

कितने लोगों पर होगा असर

ईपीएफपर मिलने वाले ब्याज पर लगाए गए टैक्स प्रस्ताव से केवल एक प्रतिशत भविष्य निधि खाताधारक प्रभावित होंगे। अन्य खाताधारकों पर इस टैक्स प्रस्ताव का कोई असर नहीं होगा क्योंकि उनका सालाना पीएफयोगदान ढाई लाख रुपए से कम है।

विश्लेषण

दुर्भाग्य को भी उपलब्धि बता रही सरकार

घनघोर पूंजीवाद की ओर बढ़ता देश, बढ़ रही है अमीर गरीब के बीच की खाई

प्रमोद अग्रवाल

नई दिल्ली (नवप्रदेश)। देश को घनघोर पूंजीवाद की ओर धकेल दिया गया है अमीरों को और अमीर बनाने के फार्मूले पर चल रही सरकार की सारी नीतियां कारपोरेट को लाभ पहुंचा रही हैं। जिसके कारण अमीरी-गरीबी के बीच का फासला बड़ी और अंधेरी खाई का रूप ले चुका है, दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी पूंजीवादी नीतियों का प्रचार भाजपा सरकार उपलब्धि के रूप में कर रही है। देश में धर्म आधारित उन्माद और दिखावटी देशभक्ति के अंधे रास्ते में भटक रहा आवाम तालियां पीट रहा है, देश का बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है सरकार उस मजबूर तबके को फोटो लगे थैलों में पांच किलो अनाज बांटकर एहसास जता रही है कि वह उसे जिंदा रखे हुए है। दूसरी ओर कारपोरेट का टैक्स, लोन माफ करके देश की सरकारी संपत्तिया एक के बाद एक उनके हवाले की जा रही है। यह व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है जिसमें दो वर्ग ही शेष रहेंगे एक मालिक होगा और दूसरा मजदूर।

भाजपा के अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा ने अगस्त में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा कि राज्य ने भाजपा के पांच वर्षीय कार्यकाल में राज्य का जबरदस्त विकास किया है और राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाई है राज्य में पांच साल पूर्व प्रतिव्यक्ति आय अड़तालिस हजार रुपये थी जो अब बढ़कर चौरानवे हजार रुपए हो गई है। उनके आंकड़ों को सही मानते हुए विश्लेषण किया जाए तो यह देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक है जो इस राज्य को गरीबी के अंधे कुएं में धकेल रहा है।

उत्तर प्रदेश की लगभग चौबीस करोड़ की आबादी में सत्तर प्रतिशत आबादी लगभग सोलह करोड़ अस्सी लाख लोगों को सरकार बीस किलो क्षमता वाले मोदी योगी के फोटो लगे थैलों में पांच किलो अनाज प्रतिमाह मुफ्त बांट रही है मतलब सरकार मानती है कि यह सत्तर प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और जिसकी प्रतिव्यक्ति आय सरकारी मापदंडों के अनुसार साढ़े नौ हजार रुपए से कम है।

इस हिसाब से राज्य में मुफ्त अनाज प्राप्त कर रही जनता की कुल आबादी की प्रतिव्यक्ति आय एक लाख उनसठ हजार छै सौ करोड़ रुपए प्रतिमाह होती है। जबकि जगतप्रकाश नड्डा ने जो आंकड़ा बताया है उसके अनुसार राज्य की कुल प्रतिव्यक्ति आय दो करोड़ तीस लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह बनती है। इस राशि में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की आय घटा दी जाए तो यह राशि दो करोड़ चौदह लाख करोड़ रुपए बचती है मतलब यह कि इतनी राशि वो तीस प्रतिशत लोगों की आय है।मतलब राज्य की तीस प्रतिशत आबादी यानि लगभग सात करोड़ लोग की आय बहुत ज्यादा है।

इसे प्रतिव्यक्ति आय के मान से समझें तो उत्तर प्रदेश में सत्तर प्रतिशत जनता की प्रतिव्यक्ति आय साढ़े नौ हजार रुपए है जबकि दूसरी ओर तीस प्रतिशत आबादी वर्ग ऐसा है जो प्रतिमाह लगभग उनतीस लाख रुपए मासिक कमाई कर रहा है। तब जाकर जगतप्रकाश नड्डा का चौरानवे हजार रुपए का दावा सही बैठता है। यह असमानता ही चिंता का बड़ा कारण है एक ओर गरीब जनता है जिसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसे पेट भरने के लिए भी ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कोहली ने 1 रन बनाते ही हासिल किया ये मुकाम, तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली (वार्ता)। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 23000 रन पूरे कर लिए हैं। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चौथे मैच की पहली पारी में ये कारनामा किया। वह एक रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 23000 रन पूरे कर लिए कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 23000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने 440 मैचों की 490 पारियों में 23000 रन पूरे किए हैं। उन्होंने 70 शतक और 116 अर्धशतक लगाए हैं। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 23 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था।

इंग्लैंड सीरीज से पहले कोहली को 23000 रन पूरे करने के लिए 125 रन की जरूरत थी। उन्होंने चौथे टेस्ट के शुरू होने से पहले तक 124 रन बनाए थे। विराट कोहली 23000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर 34357 रन बनाकर सबसे आगे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ (24208) दूसरे स्थान पर हैं। कोहली 23000 रन पूरे करने वाले सातवें बल्लेबाज हैं।

आरटीओ टीम ने की बीएसपी प्लांट में चल रही गाड़ियों की जांच

17 गाड़ियों पर कार्रवाई, आगे भी चलेगी कार्रवाई, किसी मे फिटनेस नहीं पाया गया, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। परिवहन और पुलिस विभाग की टीम ने आज बीएसपी परिसर के भीतर चल रहे भारी वाहनों की बड़े पैमाने पर जांच की। जांच में अनेक विसंगति पाई गई। दिन भर यह कार्रवाई चली। आज हुई कार्रवाई में 17 गाड़ियों पर फिटनेस, रेजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन जैसी विसंगतियों पर कार्रवाई की गई। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा एवं कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशासनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र में आरटीओ एवं पुलिस विभाग की सयुंक्त टीम द्वारा लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने में वाहनों की जांच की गई।

इस हेतु एआरटीओ मृत्युंजय प्रसाद पटेल के नेतृत्व में सात सदस्यीय जांच टीम परिवहन मुख्यालय रायपुर से विशेष रूप से भेजी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव के नेतृत्व में पुलिस टीम एवम फ्लाईंग स्क्वाड दुर्ग की टीम के द्वारा सयंत्र परिसर में प्रवेश कर परिसर के भीतर चल रही हेवी वीकल्स की जांच की गई जिसमें बड़े पैमाने में विसंगतियां पाई गई। फिटनेस, टेक्ससेशन, रजिस्ट्रेशन, परमिट आदि में कमी के आधार पर 17 वाहनों में कार्यवाही कर जब्ती की कार्यवाही की गई है। शेष कार्यवाही अभी जारी है। लाखों का टैक्स बकाया एवं बिना रजिस्ट्रेशन की वाहन परिसर के भीतर चलती पाई गई। कल भी 12 से अधिक वाहनों में अनियमितता को देखते हुए जब्ती की कार्यवाही की गई थी । चरण बद्ध रूप से ये कारवाही अभी जारी रहेगी। 19 से अधिक वाहनों को नोटिस जारी कर समस्त कागजातों के साथ आहूत किया गया है।

सीएम करेगें 5 सौ शिक्षकों का सम्मान

नवप्रदेश संवाददाता

कुम्हारी। 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर पाटन क्षेत्र के 500 शिक्षकों का कुम्हारी स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरु सम्मान कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं उपस्थित रहेंगे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कॉग्रेस कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई जिसमे सभी को कार्य संबंधी दायित्व सौपा गया। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ओएसडी मनीष बंछोर, आशीष वर्मा, पालिकाध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार, मुख्य नपा अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा सहित जवाहर वर्मा अध्यक्ष केंद्रीय सहकारी बैंक, अश्वनी साहू अध्यक्ष उपज मंडी बोर्ड, राजेन्द्र साहू महामंत्री, महेंद्र वर्मा ब्लॉक अध्यक्ष पाटन, राजेश ठाकुर अध्यक्ष दक्षिण पाटन, अशोक साहू जिला उपाध्यक्ष जिपं, मेहतर वर्मा पाटन, स्वप्निल उपाध्याय, पार्षद मनहरण यादव, थनेश पटेल, यूजेन्द्र साहू, महेश सोनकर, जानकी, कुमारी बाई निषाद, नीतू रावते, लता खैरवार, शान्ति टंडन, सती यादव, एल्डरमेन अशोक साहू, तीरथ पटेल, विधायक प्रतिनिधि शीश बंसल, लेखराम साहू, डिकेन्द्र साहू, चंद्रप्रकाश साहू, रामकुमार चक्रधारी, आकाश देवांगन, निलेश देवांगन, रवि साहू, भूपेंद्र पटेल, रीना साहू, राकेश कुर्रे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं पाटन कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों में रूपचंद साहू, अमृत सिंह राजपूत, प्रेमप्रकाश पांडेय, किशोर निषाद सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

न्यूज गैलरी

बीएसपी प्रबंधन को निगम ने लिखा पत्र

भिलाई। बीएसपी प्रबंधन को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं दूषित जल के उपचार के लिए निगम ने पत्र प्रेषित किया है। संयंत्र के द्वारा निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। निगम एवं बीएसपी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान टाउनशिप क्षेत्र में कचरा एवं विभिन्न स्थलों में बेतरतीब तरीके से गंदगी, प्लास्टिक आदि की सफाई कराने के संबंध में बीएसपी प्रबंधन को निगम ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पत्र प्रेषित किया है साथ ही दूषित जल के बेहतर उपचार के लिए पत्र लिखा है। नालो के जलकुंभी की सफाई के लिए भी बीएसपी प्रबंधन को पत्र जारी किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं दूषितजल को लेकर बीएसपी प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इन मामलों में त्वरित कार्यवाही किया जाए।

निगम के दो कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त

रिसाली। निगम गठन उपरांत मूलभूत कार्य करने वाले चतुर्थ वर्ग कर्मचारी मनहरण लाल ठाकुर व सफाई मित्र रूंगुराम सेवानिवृत्त हुए। आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने दोनो कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और शाल.श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही दोनो कर्मचारियों को उपहार देकर बिदाई दी गई। बिदाई समारोह में आयुक्त सर्वे ने कहा कि बिना टीम के कार्य कर पाना संभव नहीं है। सेवानिवृत्त होने वाले दोनो कर्मचारी निगम के सेवाकाल में अहम भूमिका निभाई।

भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में बाधा : टावरी

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की जिला कार्यसमिति की बैठक जिला भाजपा कार्यालय में सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक घनश्याम दिल्लीवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, जिला प्रभारी सहकारिता प्रकोष्ठ आलोक मिश्रा, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, किसान नेता लखनलाल साहू, सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य टीपी सिंह, जिलामंत्री दिनेश देवांगन उपस्थित रहे थे। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सहकारिता प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं सहकारिता के उत्थान को लेकर सुझाव मांगे गए। बैठक की शुरुआत भारत माता डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयोजित बैठक भाजपा प्रदेश मंत्री में संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में लगातार केंद्र की सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लगातार कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं ला रही हैं जिसे सहकारिता सोसायटीओं में रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे साथ ही साथ आज जिला भाजपा के सभागार में उपस्थित जितने भी सहकारिता के नए पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें में आह्वान करती हूं आपके द्वारा किए गए कार्यों से आम जनमानस के जीवन का उत्थान तो होगा ही साथ ही साथ भाजपा आगामी चुनाव में विजयश्री हासिल प्राप्त होगी। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी आलोक मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता वह शाखा है जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं जाती नहीं समय दे समय पर नहीं पत्तियां के उगने से और आकर्षक लगती है।

6 एडवरटाइजर्स एजेंसी ब्लैक लिस्ट

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम ने 6 एडवरटाइजर्स एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इनकी अमानत राशि भी राजसात कर ली है। निगम ने यूनीपोल में प्रकाशन शुल्क जमा करने को लेकर 6 एडवरटाइजर्स ऑगिब्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड सुपेला, दीपक एडवरटाइजर्स, जीजे एडवरटाइजर्स नेहरू नगर, संजरी एडवरटाइजर्स पदमनाभपुर दुग, अमृता इंटरप्राइजेज सुपेला एवं रेनबो एंटरटेनमेंट एंड एडवरटाइजर्स दुर्ग को अंतिम नोटिस जारी किया था और नोटिस में तीन दिवस का समय देते हुए यूनीपोल प्रकाशन शुल्क की राशि जमा करने कहा था। फिर भी 6 एडवरटाइजर्स जिन्होंने यूनीपोल के निविदा में भाग लिया था और निविदाकार के रुप में सम्मिलित होकर कार्य आदेश प्राप्त किया था उन्होंने प्रकाशन शुल्क की राशि जमा नहीं की। इकरारनामा के वक्त भी इन्होंने राशि नहीं दी। जबकि 21 जनवरी 2020 को इन्हें कार्य आदेश जारी किया गया था और 23 जून 2021 को निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तों की कंडिकाओं का पालन के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया था इसके बावजूद पालन नहीं करने पर दिनांक 26 अगस्त 2021 को पुनः अंतिम नोटिस जारी करते हुए निविदा अनुबंध शर्तों के पालन में राशि जमा करने के लिए तीन दिवस का समय दिया गया था।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202108100700322

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संजय कुमार जगबेड़ा पिता भोलाराम जगबेडा निवासी ग्राम सरस्वती नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 680/1, 681/1 रकबा 0.008 हे. भूमि को विक्रेता राजेश कुमार वगै. पिता बंशीलाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम ठेठवार पारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29.07.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 19.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202108100700323

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कुमारी बाई पिता/पति लक्ष्मण ढीमर निवासी ग्राम शिवपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 682/14, 686/14 रकबा 0.0030 हे. भूमि को विक्रेता कुलसिंग पिता सुधु ढीमर निवासी ग्राम चिंगरी से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.02.1986 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 19.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सदीपजीत पिता श्री वल्लभ दास निवासी ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 948/2 रकबा 0.0070 हे. भूमि को विक्रेता श्री कैलाश नाथ वाघधरे पिता श्री कृष्ण राव निवासी ग्राम नागपुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 06.08.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती प्रीति लोधी पिता/पति स्व. राजकुमार सिंह अन्य निवासी ग्राम मिनाक्षीनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 161/10, 162/4 का टु. रकबा 1289 वर्गफीट हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार शिवपति देवी पति स्व. राजकुमार सिंह की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 20210710120023

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गुमान सिंह अन्य पिता सुंदरलाल अन्य निवासी चंगोरी मौजा चंगोरी प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. अंजोरा ख तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 197, 317, 810 रकबा 0.2400, 0.0900, 0.3200 हे. सुंदरलाल अन्य के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी के द्वारा आवेदक के नाम वसीयत किया गया है। भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 21.04.2021 को हो जाने के कारण आवेदक का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 20.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 20210710120020

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गुमान सिंह अन्य पिता सुंदरलाल अन्य निवासी चंगोरी मौजा चंगोरी प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. अंजोरा ख तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 179/1, 211, 316, 355, 632, 791, 1258, 1263, 1404, 1469 रकबा 0.090, 0.200, 0.090, 0.150, 0.530, 0.760, 0.940, 0.050, 0.020, 0.020 हे. के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी के द्वारा आवेदक के नाम वसीयत किया गया है। भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 07.04.2021 को हो जाने के कारण आवेदक का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 20.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

वर्ष 2020 -21

प्रति,
प.ह.न. 45
ग्राम रिसामा तह. व जिला दुर्ग छ.ग.

विषय : वारिसानो के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्

--000---

विषयांतर्गत संबंध में आवेदक ईश्वरी साहू अन्य पिता आजुराम साहू निवासी रिसाली तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसामा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 20, 64, 75, 143, 369 रकबा 0.140, 0.370, 0.270, 0.540 भूमि जो कि आवेदक ईश्वरी साहू आ. स्व. आजुराम साहू अन्य दर्ज है। उक्त आवेदित भूमि के भूमिस्वामी आजुराम साहू की मृत्यु दिनांक 10.12.2020 को हो जाने पर आवेदित भूमि पर फौती दर्ज करते हुए विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस संबंध में जांच कर जांच प्रतिवेदन इस न्यायालय में पेशी दिनांक 17.09.2021 तक या इससे पूर्व अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री वेदप्रकाश कोसरे पिता रेवाराम साकिन रिसाली भिलाई के द्वारा ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 341/52 रकबा 0.010 वर्गफीट हे. भूमि रुपा साहू पिता/पति रामचरण से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 13.08.2021 को क्रय किया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 10.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 27.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका एश्वर्य देशमुख पिता/पति स्व. खिलेन्द्र देशमुख निवासी थनौद मौजा थनौद प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 230, 232, 585 रकबा 0.60, 0.32, 0.030 हे. पूरनलाल के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 29.11.2019 को हो जाने के कारण वारीसानो का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.09.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पारुल वाहने पिता शिवप्रकाश वाहने निवासी नागरिक सहकारी बैक के पास जवाहर नगर दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 845/493 रकबा 0.016 हे. भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार देवकी जैन पति सुरेशचंद जैन से दिनांक 13.08.2021 को क्रय कर पंजीकृत रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 14.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संदीप कुंवर श्यामकुंवर पिता केशव श्यामकुंवर निवासी स्टेशन रोड दीपक नगर दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 845/553 रकबा 0.017 हे. भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार देवकी जैन पिता/पति सुरेशचंद जैन से दिनांक 13.08.2021 को क्रय कर पंजीकृत रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 14.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती नागेश्वरी पिता/पति श्री महेश राव निवासी ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 948/2 का टु. रकबा 0.0070 हे. भूमि को विक्रेता श्री कैलाशनाथ पिता श्री कृष्णा राव निवासी ग्राम नागपुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 06.08.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नागेश कुमार निर्मलकर पिता खिलेन्द्र कुमार निर्मलकर निवासी चंदखुरी मौजा चंदखुरी प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 980 रकबा 2356 वर्गफीट भूमि को हकत्यागकर्ता/ आम मुख्तयार खिलेन्द्र कुमार निर्मलकर पिता स्व. गोवर्धन से दिनांक को क्रय कर पंजीकृत हकत्याग निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 14.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती समृद्धि मिश्रा पति रजत मिश्रा निवासी ढीमरपारा दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. दुर्ग 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 250/1 का टु. रकबा 1262.5 वर्गफीट भूमि को विक्रेता समृद्धि मिश्रा पति रजत मिश्रा से दिनांक 30.07.2021 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती क्षमा दुबे पति ललित कुमार निवासी म.न. 04 बजरंग नगर जमशेदपुर गोलपुरी झारखंड मौजा बघेरा प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. दुर्ग 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 250/1 रकबा 2040 वर्गफीट भूमि को विक्रेता सोना बाई पति स्व. गणेशराम साहू से दिनांक 30.07.2021 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17.09.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा सर्किल (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कैलाश कुमार खेतान पिता गणेश प्रसाद खेतान साकिन शंकर नगर रायपुर के द्वारा ग्राम खाडा प.ह.न 33 रा.नि.मं. अंजोरा ख तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 382/6 रकबा 1.6000 हे भूमि युगलकिशोर देशमुख आ. रोहित कुमार से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.08.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 16.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा सर्किल (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कैलाश प्रसाद खेतान पिता गणेश प्रसाद खेतान साकिन शंकर नगर रायपुर के द्वारा ग्राम निकुम प.ह.न 33 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1322/2 रकबा 4.9400 हे भूमि राधिका आ. कन्हैयालाल से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.08.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 16.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बालमुकुंद देवांगन पिता स्व. रामलाल देवांगन निवासी कातरो तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातरो तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 785, 814, 816 रकबा 0.050, 0.200, 0.140 हें भूमि जो कि भागाबाई पति स्व. कन्हैया के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी भागाबाई पति कन्हैया की मृत्यु 25.02.2020 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 14.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा सर्किल (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कैलाश कुमार खेतान पिता गणेश प्रसाद खेतान साकिन शंकर नगर रायपुर के द्वारा ग्राम निकुम प.ह.न 33 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1322/2 रकबा 4.9400 हे भूमि मिली आ. बेदराम से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.08.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 16.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

नाम-परिवर्तन

मैं श्रीमती माधवी साहू पति जोगेश्वर प्रसाद साहू निवासी क्वा. नं. 5 डी स्ट्रीट 31 इ.बी. सेक्टर-7 सिविक सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. की हूं। मेरे शालेय प्रमात्र पत्र में माधवी एवं मेरी बी.एस.सी के सर्विस बुक रिकार्ड में माधवी देवी दर्ज हो गया है जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मेरी सही व वास्तविक नाम माधवी साहू पति जोगेश्वर प्रसाद साहू दर्ज है जो सही व सत्य है। मुझे माधवी देवी के स्थान पर माधवी साहू गजट प्रकाशन करने के समर्थन में श्रीमान सक्षम अधिकारी महोद्य के समक्ष यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

मुहर — शपथकर्ता माधवी साहू

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

आवेदिका/क्रेता भीषण देवांगन पिता सालिकराम देवांगन निवासी जामुल द्वारा ग्राम जामुल प.ह.न. 18 रा.नि.मं. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 970/6 रकबा 0.01 हे. 1100 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर विक्रेता श्रीमती पदमावती पति सोमयया से क्रय किया है कि उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07.09.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
व्यक्तिगत सूचना

रा.प्र.क्र./15/अ-6अ/वर्ष 2019-20

प्रति,

भुखूराम आ. बिसू एवं भुखऊ पिता बिसू यादव निवासी कोहका भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग.

पक्षकार- गणेशराम साहू, राकेश कुमार साहू दोनो पिता स्व. गंगूराम साहू निवासी आर्यनगर कोहका तह. व जिला दुर्ग

अनावेदक- भुखूराम आ. बिसू एवं भुखऊ पिता बिसू यादव निवासी कोहका भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग.

आपको सूचित किया जाता हैं कि आवेदक गणेशराम साहू पिता स्व. गंगूराम साहू अन्य 01 निवासी आर्य नगर कोहका तह. व जिला दुर्ग ने ग्राम कोहका प.ह.न. 19 रा.नि.मं. कोहका तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 66/2 रकबा 875 वर्गफीट क्रयशुदा भूमि का संशोधन पश्चात ऋण पुस्तिका आबंटित खसरा नं. 650/5 रकबा 0.011 हे. भूमि में क्रय दिनांक से काबिज है। खसरा नं. 650/5 अनावेदक चिंताराम साहू आ. कोल्हूराम साहू निवासी कोहका के नाम पर त्रुटिवश दर्ज हो गया है, उसका नाम विलोपित कर आवेदक का नाम दर्ज करने धारा 115-116 के तहत् अभिलेख दुरुस्ती हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः इस संबंध में आपको किसी प्रकार के दावा करना हो तो स्वयं या आपके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पेशी दिनांक 15.09.2021 को दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद्मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार भिलाईनगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./35/अ-20(1) वर्ष 2019-20

आवेदक प्रहलाद कुमार पिता द्वारकानाथ निवासी ग्राम कोष्टापारा दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग नगर स्थित मोहल्ला कोष्टापारा नजूल शीट क्रमांक 29 सी भूंखड क्र 197 क्षेत्रफल 218.00 वर्गमीटर आवासीय/ व्यवसायिक भूखण्ड स्थाई नजूल पट्टे पर उन्हे प्राप्त है, जिसकी पट्टा अवधि 31.03.2032 है। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 04-07/7-1/2019 दिनांक 11.09.2019 एवं 26.10.2019 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में धारक/ पट्टेदार द्वारा शासन की शर्तो के अनुरुप उक्त भूखण्ड का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06.09.2021 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.08.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./153/अ-20(3) वर्ष 2020-21

आवेदिका श्रीमती बिसंतीन चंदेल पति कमलेश कुमार चंदेल निवासी स्टेशन पारा तितुरडीह दुर्ग जिला द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल शीट क्रमांक 88 डी भूंखड क्र 64 क्षेत्रफल 542 वर्गमीटर भूमि धारक नारायण आ. रामरतन सतनामी निवासी तितुरडीह के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड का अंशभाग 57.71 वर्गमीटर भूमि पंजीकृत दान पत्र दिनांक 10.08.2021 आवेदिका के पक्ष में निष्पादित किया है। आवेदिका द्वारा उक्त पंजीकृत दान पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड से दानदाता का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 20.09.2021 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27.08.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

नर्मदा में डुबकी, जलेश्वर में पूजा और फिर शोक में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को अमरकंटक प्रवास के दौरान अमरकंटक के अरंडी घाट में डुबकी लगाई और स्नान किया। नर्मदा मईया की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने श्री बघेल ने कपिलधारा सीताराम चक्रधारी बाबा आश्रम का भ्रमण भी किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री अमरकंटक के जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की। साथ ही प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

विधायक डॉ.ध्रुव के बेटे के दशगात्र में शामिल हुए मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमरकंटक में मंदिर दर्शन के बाद सीधे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखण्ड के बरैहा में मरवाही विधायक डॉ.के.के.ध्रुव के आवास पहुंचे। जहां सीएम विधायक के बड़े बेटे स्वर्गीय प्रवीण ध्रुव के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रवीण ध्रुव का विगत दिनों एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने प्रवीण ध्रुव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम बघेल ने मरवाही विधायक डॉ.के.के.ध्रुव और उनके शोकाकुल परिजनों से मिल कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी शोक संवेदना प्रकट की।

दशगात्र कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, विनोद सेवन लाल चंद्राकर, चंद्रदेव प्रसाद राय और इंदरशाह मंडावी सहित अनेक विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

न्यूज गैलरी

मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल : कमला नेहरू प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास 'योतिपुर आज से खुला

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 01 सितम्बर को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के ग्राम तवाडबरा के प्रवास के दौरान एक बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती के आग्रह पर जिले में आश्रम-छात्रावासों प्रारंभ करने की घोषणा पर विभाग द्वारा त्वरित अमल किया गया है। सरस्वती बैगा ने गौरेला के 'योतिपुर स्थित कमला नेहरू प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास प्रारंभ कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया था। यह छात्रावास आज 02 सितम्बर से प्रारंभ हो गया है। इस छात्रावास की छात्राओं ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इसके लिए धन्यवाद दिया है। छात्रावास खुलने से सुदूर अंचलों के ब'चों के लिए अपने स्कूल जाकर पढ़ाई करना संभव हो सकेगा। छात्रावास बंद होने से दूर के गांवों के ब'चों के लिए अपने घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल जाना संभव नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री श्री बघेल के संवदेनशील फैसले से अब बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती बैगा सहित अनेक विद्यार्थियों की समस्या का समाधान हो गया है।

नवीन ग्राम पंचायत मोहमेला, पिपरहट्टा और परसदा में होगा शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन

मंत्री डॉ.डहरिया ने संचालनकर्ताओं को सौंपे आबंटन पत्र

रायपुर/नवप्रदेश। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आरंग विधानसभा अंतर्गत नवीन ग्राम पंचायत मोहमेला, पिपरहट्टा और परसदा में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए स्व सहायता समूहों को आबंटन पत्र प्रदान किया। मंत्री डॉ डहरिया द्वारा आरंग में नवीन ग्राम पंचायत मोहमेला को, ग्राम पंचायत पिपरहट्टा हेतु श्री स्व सहायता समूह और ग्राम परसदा में दिव्य शक्ति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं सहकारी समिति मर्यादित पिरदा को आबंटन पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि सरकार की मंशानुरूप सभी पात्र राशनकार्ड धारियों को समय पर निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश्वर देवांगन, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर चंद्राकर, श्री कोमल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

महिला विरुद्ध अपराधों में वाहन की सहायता से शीघ्रता से करें अपराधियों पर कार्रवाई: श्री अवस्थी

रायपुर/नवप्रदेश। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज यहां पुलिस मुख्यालय में दुर्ग एवं रायपुर रेंज की महिला पुलिसकर्मियों को सीन ऑफक्राईम पर जाने हेतु दो पहिया वाहन (टीव्हीएस जूपीटर), की चाबी सौंपी । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाहन से महिला पुलिसकर्मियों को महिला एवं बाल विरुद्ध अपराधों को रोकने तथा विवेचना में सहायता प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की गाईडलाईन अनुसार महिला हेल्प डेस्क के लिए राज्य के विभिन्न थानों हेतु 200 मोटर सायकल(टीव्हीएस जूपीटर), 194 कम्प्यूटर सह उपकरण, फर्नीचर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अपराध से संबधित 600 पुस्तकों का क्रय किया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में महिला और बच्चों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य के 300 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया फण्ड स्कीम अंतर्गत प्रति पुलिस थाना हेतु रू. 1.00 लाख के मान से 300 पुलिस थानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राशि रू. 3.00 करोड़ सहायता राशि दी गई थी। राज्य में प्रत्येक महिला हेल्प डेस्क में प्रशिक्षित महिला अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थ किया गया है, जिससे पीड़ित महिलाएं बिना संकोच एवं भय किए अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकें। महिला हेल्प डेस्क द्वारा महिला संबंधी प्रकरणों की रिपोर्ट तत्काल दर्ज कर उनका फॉलोअप करते हुए पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार सहयोग जैसे- मनोचिकित्सक काउंसलिंग, विविध व चिकित्सीय सुविधा आदि प्रदान किया जाएगा।

छग बनेगा टीबी मुक्त, जन जागरूकता के लिए प्रेरकों की होगी नियुक्ति

- राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ काफी पिछड़ा

रायपुर/नवप्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ मंत्रियों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान को मूर्त रूप देने के लिए वर्चुअल बैठक की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशों के सभी स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश में टीबी मरीजों की जानकारी साझा की। साथ ही छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त बनाने किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक के बाद मीडिया से टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में लिए गए निर्णय को साझा किया।

अभियान में शामिल होंगे एंबेसडर

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी रोग संक्रामक है इसलिए जिसकी पहचान नहीं हो पाती वह गति कम से कम 10 व्यक्ति को संक्रमित करता है जिसके चलते अब जागरूकता के साथ जांच अभियान पर सरकार जोर दे रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड से दो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा जो है रोग से मुक्त हुआ हो उन्हें प्रेरक के रूप में जागरूकता अभियान में शामिल किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया की क्षय रोग जानलेवा भी साबित होता है। इसके लिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। यह ऐसी बीमारी है जिसमें सावधानी यदि बरती जाए तो टीबी मुक्त होना आसान है। टीबी के लक्षण अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 माह, 6 माह, डेढ़ साल या उससे अधिक समय तक यह रोग मानव शरीर मे रहता है। ज्यादा समय तक यदि रोगों का निदान ना हो तो यह जानलेवा होती है। इससे बचने के लिए इलाज समय पर हो इसके लिए जागरूकता अभियान ज्यादा जरूरी है।

2022-23 तक प्रदेश होगा टीबी मुक्त

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ये लक्ष्य वर्ष 2022-23 तक रखा था, जिस पर अनवरत कार्य जारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्वीकारा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय औसत की तुलना में सही नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने माना इसमें जन जागरूकता का भी अभाव सबसे बड़ा कारण है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ध्यान दे रही है।

मरीजों को प्रोत्साहन राशि

टीबी के मरीजों के लिए राज्य सरकार जागरूकता अभियान के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भी देती है। इसके लिए मरीजों को चिन्हांकित करने वालों को 500 रुपये इलाज के लिए मरीज के खाते में प्रतिमाह दिया जाता है। इसके साथ ही पोषण के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त 500 रुपये मरीजों को देती है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में निवासरत टीबी मरीजों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त राशि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी प्रकार मितानिनों को भी राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। इन प्रोत्साहन राशि का उद्देश्य टीबी के सही समय पर इलाज कराने के लिए जागरूकता फैलाना है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में प्रशासन की पहुँच से बदल रही तस्वीर

- सिलगेर और मिनपा के ग्रामीणों को मिली सुविधा
- सुविधा शिविर में ग्रामीणों को मिल रही आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन आदि की सहूलियत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सुकमा जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की पहल से अब ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पंजीयन आदि की सुविधाओं का लाभ बड़ी आसानी से मिल रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा अंदरूनी क्षेत्रों में बसे गांवों में सुविधा शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को एक ही जगह पर कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस सुविधा शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित पेंशन पंजीयन आदि का लाभ लेने मे सहूलियत हुई है।

जिला प्रशासन द्वारा सिलगेर सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों को आधार कार्ड आदि बनवाने के लिए सुविधा हो इसके लिए ग्राम सारकेगुड़ा में तीन दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जो आज से प्रारंभ हो कर आगामी दिवसों तक चलेगी। ग्रामीणों को शिविर स्थल तक आवागमन में कोई परेशानी ना हो, इस हेतु प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था के साथ ही भोजन आदि की व्यवस्था की गई है।

बीते दिनों ग्राम कांकेरलंका में ग्रामीणों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में अतिसंवेदनशील मिनपा के साथ ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। शिविर में निराश्रित पेंशन, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड आदि बनाने के लिए मिनपा, अलमागुण्डा, डब्बाकोण्टा, दुलेड़, चिन्तागुफा के ग्रामीण शामिल हुए। इस शिविर के माध्यम से 900 आधार कार्ड, 568 राशन कार्ड और 570 आयुष्मान कार्ड बनाया गया। साथ ही 138 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन पेंशन भुगतान हेतु किया गया।

विदित हो की ग्राम मिनपा और सिलगेर के ग्रामीणों ने प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। जिसके त्वरित निराकरण के लिए इन क्षेत्रों में सुविध शिविर लगाया जा रहा है। आगामी दिवसों में अन्य ग्रामों में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे जिले के अधिक से अधिक ग्रामीणजन सहजता से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बनवा सके और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ ले सके।

राष्ट्रीय पोषण माह 2021

अबूझमाड़ के सुदूर अंचलों से लेकर शहरों-कस्बों तक पहुंचा पोषण रथ

- पोषण का महत्व समझाने जन-आंदोलन शुरू

रायपुर/नवप्रदेश। सितम्बर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में कुपोषण एवं एनीमिया में कमी लाने के उद्देश्य से बुधवार को जन-आंदोलन के रूप में अभियान की शुरूआत की गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत ने राजनांदगांव जिले के वन धन केन्द्र पानाबरस मोहला से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एवं सामुदाय आधारित सुपोषण प्रबंध कार्यक्रम अंतर्गत अतिरिक्त आहार का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके तहत समुदायिक सहयोग से कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं का चिन्हांकन कर उन्हें दवाईयां एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर सुपोषित बनाने के लिए काम किया जाएगा।

इसी कड़ी में अभियान के शुभारंभ अवसर पर अबूझमाड़ के सुदूर अंचलों से लेकर प्रदेश के शहरो-कस्बों तक पोषण रथ सही खान-पान का महत्व और कुपोषण से बचाव का संदेश लेकर पहुंचे। गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट का वितरण किया गया। कुपोषण मुक्ति के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने पोषण रैली निकाली जिसमें कुपोषण से लड़ाई के लिए उनका उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही सितम्बर माह में पोषण माह के दौरान आदिवासी अंचलों सहित दूरदराज के इलाकों तक पोषण और उसका महत्व लोगों को समझाने कई प्रयास किए जाएंगे।

चिंतन शिविर | **मांदर की थाप पर जमकर थिरके रमन सिंह समेत भाजपा के सभी नेता**

भाजपा ने बस्तर से किया 2023 विधानसभा चुनाव की शंखनाद

सांस्कृतिक संध्या का था आयोजन

रायपुर/जगदलपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में भाजपा विपक्ष की भूमिका में ढाई वर्ष से है। अब आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी में भाजपा ने बस्तर से 2023 चुनाव की शंखनाद कर दिया है। चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए जगदलपुर में तीन दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन शिविर में था। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण सभी रंजो गम को भूलाकर बस्तरिया संस्कृति यानी मांदर की थाप पर जमकर थिरके।

बस्तरिया धुन की खुमार इन नेताओं पर इतना था कि इनके चेहरे पर कहीं भी शिकन दिखाई नहीं दे रहे थी। ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदरखाने खींच तान न चल रही हो और प्रदेश प्रभारी की आलोचना न सुननी पड़ रही हो, लेकिन आम जनता को ही सही पर ये पहली बार है जब भाजपा के नेता एक साथ संगीत की धुन पर झूमते दिखाई दिए।

बीजेपी नेता पारम्परिक धुन पर जमकर थिरके। नंदकुमार साय ने मांदर भी बजाया। जिसमे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बस्तर की सींग खुमरी पहने थिरकते दिखाई दिए ,वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक तालियों से साथ देते रहे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सांसद रामविचार नेताम, संतोष पांडेय, संगठन मंत्री पवन साय समेत कई बड़े नेता मांदर की थाप पर जमकर झूम उठे। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है।

भाजपा के दिग्गज नेताओं के मुस्कुराहट पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि प्रदेश की सियासत में चल रही रस्साकसी पर जहां विपक्ष मजा ले रहा है वहीं आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने जमकर कर्म कस ली है। भाजपा अब आंतरिक मसले से ऊपर उठकर मिशन 2023 को लेकर उत्साहित जरूर है। सियासी विवाद पर भाजपा इसका लाभ आगामी चुनाव में तो जरूर लेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार के कामकाज और कांग्रेस में खेमे बाजी पर जमकर चुटकी भी ली है। उनका तो कहना है कि कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उनके आलाकमान ही वादे से मुकर जाते हैं तो प्रदेश के नेता भी तो उसी रस्ते ही चलेंगे न। यही कारण है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गए वादे अब तक पुरे नहीं हो पाए और न ही पुरे होंगे। प्रदेश की जनता भी अब बखूबी समझ गई है कि कांग्रेस के हाथ में प्रदेश देकर कितनी भूल हुई है।

संपादकीय

कोरोना की तीसरी लहर का खतरा

देश में इसी माह कोरोना की तीसरी आने का खतरा मंडराने लगा है। पिछले एक सप्ताह से देश में प्रतिदिन कोरोना के 40 हजारे से अधिक नए मामले सामने आ रहे है और लगभग पांच सौ लोगों की मौत हो रही है। इसे कोरोना की तीसरी लहर की शुरूआत का संकेत माना जा सकता है। खासतौर पर केरल में तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कर्नाटक के एक कॉलेज में पढ़ने वाले केरल के 65 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए है, इसके बाद वहां कॉलेज को बंद कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा रहा है। उनमें से भी कई स्कूलों ने छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। अभी तक बच्चों के लिए कोरोना का टीका नहीं बन पाया है, ऐसी स्थिति में यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो छात्र-छात्राओं के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। यद्यपि शैक्षणिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का दावा किया जा रहा है लेकिन देखने में आ रहा है कि अधिकांश विद्यार्थी बगैर मास्क के जा रहे है ऐसी स्थिति में उन शिक्षण संस्थानों में कोरोना गाईड लाईन का कितना पालन हो रहा है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस बीच चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को मद्देनजर रखकर कम से कम दो माह तक तो शैक्षणिक संस्थान बंद रखें जाने चाहिए। क्योकि यदि शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-छात्राएं कोरोना की तीसरी लहर का शिकर बनते है तो विकट स्थिति पैदा हो जाएगी किन्तु राज्य सरकारें पता नहीं क्यों चिकित्सा विशेषज्ञों की राय को तरजीह नहीं दे रही है और एक के बाद एक नई कक्षाएं लगाने का आदेश पारित कर रही है। यह ठीक है कि ऑनलाईन पढ़ाई से विद्यार्थियों को विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए शैक्षणिक संस्थान जल्द से जल्द खोलना जरूरी है ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो लेकिन राज्य सरकारों को यह भी सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों के भविष्य से ज्यादा उनकी जान की रक्षा है इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना गाईड लाईन का कड़ाई पूर्वक पालन कराएं और हो सके तो कुछ समय के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बंद करें।

मानसून से होती तबाही की बढ़ती तीव्रता

योगेश कुमार गोयल

> कई जगहों पर मानसून से पहले नालों की सफाई की भी जाती है तो उस दौरान सैंकड़ों मीट्रिक टन सिल्ट निकालकर उसे नाले के करीब ही छोड़ दिया जाता है, जो तेज बारिश के दौरान दोबारा बहकर नाले में चली जाती है और थोड़ी सी बारिश में ही ये नाले उफनते लगते हैं। बारिश के कारण बाढ़, भू-स्खलन जैसी आपदाओं को लेकर हम जी भरकर प्रकृति को तो कोसते हैं किन्तु यह समझने का प्रयास नहीं करते कि मानसून की जो बारिश हमारे लिए प्रकृति का वरदान होनी चाहिए, वही बारिश अब हर साल बड़ी आपदा के रूप में तबाही बनकर क्यों सामने आती है? अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति के लिए जलवायु परिवर्तन के अलावा विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों में होता अवैध खनन इत्यादि भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिससे मानसून प्रभावित होने के साथ-साथ भू-क्षरण और नदियों द्वारा कटाव की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते तबाही के मामले बढ़ने लगे हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में 31 अगस्त से ही जोरदार बारिश के कारण अनेक इलाकों में भारी जलभराव के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है और 1 सितम्बर को भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वैसे भी दिल्ली में अक्सर चंद घंटों की मूसलाधार वर्षा में ही सड़कें दरिया बन जाती हैं। दिल्ली-एनसीआर में 31 अगस्त को हुई बारिश ने तो सात वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे के भीतर राजधानी में 84.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो वर्ष 2013 के बाद से सर्वाधिक है। महाराष्ट्र के मुम्बई सहित औरंगाबाद, जलगांव, कोंकण, मराठवाड़ा से लेकर उत्तर महाराष्ट्र सहित अनेक इलाकों में भी भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। राजस्थान में बारिश और आकाशीय बिजली से कुछ लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर है। देशभर के अनेक इलाकों में नदियां और जलाशय उफान पर आ गए हैं और मौसम विभाग द्वारा 4 सितम्बर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इस साल मानसून की शुरूआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश, बाढ़, बादल फटने, बिजली गिरने और भू-स्खलन से तबाही का सिलसिला अनवरत जारी है। पहाड़ों पर आसमानी आफत टूट रही है तो देश के कई इलाके बाढ़ के कहर से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। कमोवेश हर साल मानसून के दौरान विभिन्न राज्यों में अब इसी प्रकार का नजारा देखा जाने लगा है। अब इसे मानसून की दगाबाजी कहें या पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम कि मानूसन से होती तबाही की तीव्रता साल दर साल बढ़ रही है। मानसून का मिजाज इस कदर बदल रहा है कि जहां मानसून के दौरान महीने के अधिकांश दिन अब सूखे निकल जाते हैं, वहीं कुछेक दिनों में ही इतनी बारिश हो जाती है कि लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं। दरअसल वर्षा के पैटर्न में अब ऐसा बदलाव नजर आने लगा है कि बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है,

जो प्रायः भारी तबाही का कारण बनता है।

हाल ही में पॉट्सडैम इंस्टीच्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारतीय मानसून की चाल को जलवायु परिवर्तन और ज्यादा गड़बड़ बना रहा है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश ने जो तबाही मचा रखी है, वह वैश्विक तापमान वृद्धि का दुष्परिणाम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम के जिस पैटर्न को कभी सबसे स्थिर माना जाता था, उसमें एक बड़ा परिवर्तन स्पष्ट देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के तापमान में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से मानसूनी वर्षा में करीब पांच फीसदी बढ़ोतरी हो रही है। बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में होती बढ़ोतरी को भी जलवायु परिवर्तन से ही जोड़कर देखा जा रहा है।

एक समय था, जब गांव हो या शहर, हर कहीं बड़े-बड़े तालाब और गहरे-गहरे कुएं होते थे और पानी अपने आप धीरे-धीरे इनमें समा जाता था, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ता था लेकिन अब विकास की अंधी दौड़ में तालाबों की जगह ऊंची-ऊंची इमारतों ने ले ली है, शहर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, अधिकांश जगहों पर कुओं को मिट्टी डालकर भर दिया गया है। 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक के मुताबिक हमारी फितरत कुछ ऐसी हो गई है कि हम मानसून का भरपूर आनंद तो लेना चाहते हैं किन्तु इस मौसम में किसी भी छोटी-बड़ी आपदा के उत्पन्न होने की प्रबल आशंकाओं के बावजूद उससे निपटने की तैयारियां ही नहीं करते। इसीलिए बदइंतजामी और साथ ही प्रकृति के बदले मिजाज के कारण अब प्रतिवर्ष प्रचण्ड गर्मी के बाद बारिश रूपी राहत को देशभर में आफत में बदलते देर नहीं लगती और तब मानसून को लेकर हमारा सारा उत्साह छू-मंतर हो जाता है।

मानसून प्रकृति प्रदत्त ऐसा खुशनुमा मौसम है, भीषण गर्मी झेलने के बाद जिसकी बूंदों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह ऐसा मौसम है, जब प्रकृति हमें भरपूर पानी देती है किन्तु पानी की कमी से बूरी तरह जूझते रहने के बावजूद हम इस पानी सहेजने के कोई कारगर इंतजाम नहीं करते और बारिश का पानी व्यर्थ बहकर समुद्रों में समा जाता है। हालांकि 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग' का शोर तो सालभर बहुत सुनते हैं लेकिन ऐसी योजनाएं सिरे कम ही चढ़ती हैं। इन्हीं नाकारा व्यवस्थाओं के चलते चंद घंटों की बारिश में ही दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बेंगलुरू जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी प्रायः जल-प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हल्की सी बारिश क्या हुई, सड़कों पर पानी भर जाता है, गाड़ियां रेंग-रेंगकर चलने लगती हैं, रेल तथा विमान सेवाएं प्रभावित होती हैं, सड़कें धंस जाती हैं, जगह-जगह जलभराव होने से पैदल चलने वालों का बुरा हाल हो जाता है। यह कोई इसी साल की बात नहीं है बल्कि हर साल यही नजारा सामने आता है लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे पुख्ता इंतजाम कभी नहीं किए जाते, जिससे बारिश के पानी का संचयन किया जा सके और ऐसी समस्याओं से निजात मिले।

हमारी व्यवस्था का काला सच यही है कि न कहीं कोई जवाबदेह नजर आता है और न ही कहीं कोई जवाबदेही तय करने वाला तंत्र दिखता है। हर प्राकृतिक आपदा के समक्ष उससे बचाव की हमारी समस्त व्यवस्था ताश के पत्तों की भांति ढ़ह जाती है। ऐसी आपदाओं से बचाव तो दूर की कौड़ी है, हम तो मानसून में सामान्य वर्षा होने पर भी बारिश के पानी की निकासी के मामले में साल दर साल फेल साबित हो रहे हैं। देशभर के लगभग तमाम राज्यों में प्रशासन के पास पर्याप्त बजट के बावजूद प्रतिवर्ष छोटे-बड़े नालों की सफाई का काम मानसून से पहले अधूरा रह जाता है, जिसके चलते ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। अनेक बार ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं, जिनसे पता चलता रहा है कि मानूसन की शुरूआत से पहले ही करोड़ों रुपये का घपला करते हुए केवल कागजों में ही नालों की सफाई का काम पूरा कर दिया जाता है।

विचार

वह जाति भेद मिटने का सपना

भारतीय जनतंत्र एवं जाति के संबंध लगातार बदलते रहे हैं, किंतु इन बदलावों को समग्रता में समझने में हम कई बार सफल होते हैं, तो कई बार असफल भी हो जाते हैं। जब भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय जनतंत्र का नक्शा गढ़ा गया था, तब यह परिकल्पना की गई थी कि जातिगत असमानता से जूझ रहे समाज की असमानता जनतांत्रिक अवसरों व लाभों के बंटवारे से कम होगी और धीरे-धीरे भारतीय समाज जाति मुक्त समरस समाज में बदल जाएगा। शायद इसीलिए भारत में जाति व्यवस्था की आलोचना के एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार बाबा साहेब आंबेडकर ने 'जाति के निर्मूलन' का सिद्धांत व आकांक्षा विकसित की थी।

हालांकि, भारतीय जनतंत्र के विकास के कुछ दिनों बाद ही यह लगने लगा था कि इसकी चुनावी व्यवस्था के अंतर्निहित अंतर्विरोधों के कारण 'पारंपरिक जातिबोध' नए-नए ढंग से अविष्कृत एवं अवतरित हो समाज में नए-नए रूपों में व नए-नए अवसरों पर प्रकट होने लगा है। भारतीय समाज में जनतंत्र और विकास के बढ़ते अवसरों के कारण 'गतिशीलता' की जो प्रक्रिया 'संस्कृतिकरण' के रूप में देखी गई थी, वह 'विसंस्कृतिकरण' के रूप में आने लगी। भारतीय जनतंत्र में जातियां मुखरित ही नहीं हुईं, बल्कि वे सरकारी खाद-पानी पा पलने-बढ़ने लगीं। भारतीय जन में एक ऐसा सत्ता प्रेरित आत्मबोध पैदा हुआ, जिसमें नागरिक बोध व जाति बोध साथ-साथ विकसित होने लगे।

ऐसे में, भारतीय जनतंत्र एवं जाति के संबंधों में एक नया मोड़ आया, जहां जनतांत्रिक लाभों में हिस्सेदारी संख्या बल के आधार पर मांगी जाने लगी। राममनोहर लोहिया और कांशीराम इस विचार के प्रखर सिद्धांतकार बन कर उभरे। पिछड़ा मांगे सौ में साठ का जो दर्शन राम मनोहर लोहिया ने प्रस्तुत किया, कांशीराम ने उसे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे से आगे बढ़ाया। ये प्रयोग सन 1960 के आस-पास शुरू हुए और लगभग अभी तक चल रहे हैं। इन प्रयोगों ने यह दिखाया कि जाति भाव एक तरफ सीमांत के समूहों के लिए क्षणिक मुक्तिदायी तो प्रतीत होता है, किंतु अपने दीर्घकालीन प्रभाव में जातिभाव आधारित सशक्तीकरण अपने भीतर एक 'नव-आधिपत्य' का सृजन भी करता है। समानता की चाह एवं नव-आधिपत्य के कारण सतत उत्पादित हो रही असमानता एक-दूसरे के साथ अंतर्विरोधी संबंध रचते हुए भारतीय जनतंत्र में एक बड़ा विरोधाभास पैदा कर रहे हैं।

पिछड़े एवं बहुजन आंदोलन से जो जनतांत्रिक राजसत्ता उभरी, उसमें भी हम सबने महसूस किया कि इन सामाजिक समूहों के कुछ खास वर्ग जो संख्या में बड़े थे, जिनके पास आकांक्षा की चाह उन्हीं समूहों की अन्य जातियों से पहले आ गई थी, उन्हीं को जनतांत्रिक अवसरों का ज्यादा लाभ मिल पाया। इन्हीं सामाजिक समूहों की ज्यादातर जातियां जिनका संख्या बल कम है, अपने ही समूह की कुछ प्रभावी जातियों से आकांक्षा और प्रतिनिधित्व की चाह को मुखरित करने में पीछे रह गईं।

गणना से नफा हो, नुकसान नहीं

रोशन किशोर

> रोहिणी आयोग की सिफारिशें देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म देंगी, क्योंकि दबदबा रखने वाली ओबीसी जातियां, जिनके बारे में रोहिणी आयोग का मानना है कि वर्तमान नीति से उन्हें असमान रूप से फायदा पहुंचा है, अपना रुतबा गंवा सकती हैं। चौथी वजह, सामान्य जनगणना के साथ जातिगत जनगणना को जोड़ने से ओबीसी के भीतर समानता लाने वाले कारकों को मदद नहीं मिल सकती। ओबीसी आरक्षण में वर्ग को ध्यान में रखना चाहिए, न कि जाति को। मौजूदा सरकार ने पहले ही 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पुनर्गठन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि एससी-एसटी समूहों के साथ ओबीसी की एक सरल गणना ओबीसी में समानता लाने में मददगार नहीं होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने देश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (राजद) ने सुझाव दिया कि सामान्य दशकीय जनगणना में जातिगत जनगणना भी की जा सकती है, आखिर यह धार्मिक समूहों और अनुसूचित जातियों (एससी) एवं जनजातियों (एसटी) की अलग से गणना करती ही है। इस तरह के सुझाव निस्संदेह तार्किक जान पड़ते हैं, लेकिन इससे जातिगत जनगणना का मकसद पूरा नहीं हो सकता। आखिर क्यों? इसकी चार वजहें हैं।

पहली, तर्क यह दिया जा रहा है कि भारत ने 1931 के बाद से जातीय जनगणना नहीं की है। मगर हमें इनकी कमोबेश संख्या तो पता है। अंग्रेज हुकूमत 1881 से लेकर 1931 तक दशकीय जनगणना में जाति की गणना किया करती थी। मगर इसके बाद यह प्रथा बंद कर दी गई और आजाद भारत ने भी इसे फिर से शुरू नहीं किया। हालांकि, जनगणना में एससी-एसटी की आबादी की गिनती होती रही है। जनगणना में सिर्फ एससी-एसटी की गणना करने का मतलब यह नहीं है कि भारत की आबादी में मौजूद सामाजिक विभाजन से हम अनजान हैं। विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में, जैसे राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में एससी-एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की व्यापक हिस्सेदारी दर्ज की ही जाती है। चूंकि जनगणना के विपरीत जातिगत हिस्सेदारी का पता सर्वे आधारित अनुमान से होता है, इसलिए इस पर राजनीतिक बहस होती है। इस बहस में अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि एनएफएचएस-एनएसएसओ के ताजा अनुमान मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुमान से बहुत अलग नहीं हैं। दूसरी वजह, जातीय जनगणना की मांग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति से गहरे रूप में नत्थी है। यह एक अनुकूल सांख्यिकीय गणना नहीं है। ऐसे दो कारक हैं, जो मायने रखते हैं- आरक्षण के लिए पात्र लोगों की सूची में अधिक से अधिक सामाजिक समूहों को शामिल करने की अनवरत इच्छा और दूसरा, देश में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करने की मांग। मगर आरक्षित श्रेणी में अधिक समुदायों को शामिल करने से उन समूहों की संभावनाएं कम हो जाएंगी, जो पहले से आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिश 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का प्रत्यक्ष परिणाम ही थी।

रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि ओबीसी की आबादी (हिंदू और गैर-हिंदू, दोनों) भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 52 फीसदी है। लिहाजा, केंद्र सरकार के अधीन सभी पदों में उसे 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सीमा से खिलाफजा सकता है। चूंकि ओबीसी के लिए प्रस्तावित आरक्षण इतना होना चाहिए, जो एससी और एसटी के लिए 22.5 प्रतिशत के साथ जोड़ने पर भी 50 फीसदी के नीचे रहे, इसलिए मंडल आयोग केवल 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश करने को बाध्य है, भले ही ओबीसी की आबादी आरक्षण से करीब दोगुनी हो। हालांकि, सांविधानिक रूप से कहें, तो ओबीसी आरक्षण एससी-एसटी आरक्षण के समान नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि एससी-एसटी आरक्षण के विपरीत, ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं और एक सीमा के बाद वे आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते।

तीसरी वजह, ओबीसी को आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला है, हां, इससे उसे मदद जरूर मिली है। 17 जुलाई, 2019 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत (क्रमशः 15 और 7.5 फीसदी) से अधिक है। केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी की हिस्सेदारी 21.57 प्रतिशत है, जो उनके लिए आरक्षित सीमा से कम है। हालांकि, सितंबर, 1993 में शुरू होने के बाद से इसमें सिलसिलेवार वृद्धि ही हुई है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी, 2012 को ओबीसी की हिस्सेदारी 16.55 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 1 जनवरी, 2016 को 21.57 फीसदी हो गई है।

सवाल यह है कि इन लाभों ने वर्तमान में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत बड़े समूह के भीतर उप-जातियों की किस हद तक मदद की है? यही वह तथ्य है, जिसने मोदी सरकार को 2017 में ओबीसी के उप-वर्गीकरण पर न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन करने को मजबूर किया। केंद्रीय सूची में 2,633 अन्य पिछड़ी जातियां हैं और इस साल की शुरुआत में आयोग ने उन्हें चार उप-श्रेणियों (1, 2, 3 और 4) में बांटने का प्रस्ताव रखा और 27 फीसदी को क्रमशः 2, 6, 9 और 10 प्रतिशत में बांटने की सिफारिश की। यदि यह मान लिया जाता है, तो इनका राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेष तौर पर उत्तर भारत में, जहां यादव जैसे शक्तिशाली ओबीसी जाति के उदय ने 1990 के दशक को परिभाषित किया है।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

दूसरों की कहानियों

दूसरों की कहानियों में अपने किस्से ढूंढ रही हूं। अ न जा न परछाइयों में अपनी सूरत ढूंढ रही हूं। रफ्ता रफ्ता बिखरी जिन्दगी में खोई सीरत ढूंढ रही हूं। अपने ही घर में बैठ यारो अपना पता ढूंढ रही हूं। जो बदलते रहे मौसम की तरह हरदम मैं उन्हें शब्द और अर्थ की तरह ढूंढ रही हूं।

- देव्यानी भारद्वाज

पाप क्रोध की माया

पाप क्रोध की माया भारी। लाज बचा लो कृष्ण मुरारी ।। मन-मानुष में युद्ध पुराना। हे! मोहन सद् मार्ग दिखाना। मन-मैला धनवान भिखारी। कर्ता-धर्ता सब बनवारी। लोभ-मोह से निकलो प्यारे। जाता नहिं कुछ साथ हमारे मनु हारे तृष्णा के आगे मानवता तज धन पर भागे। कह मिलिंद समझो नर-नारी पार करेंगे अवध बिहारी।

- मिथलेश सिंह

खास पाती | जगह जगह अवरोध मिले

जगह जगह अवरोध मिले हैं। कदम कदम पर बोध मिले हैं। ठीक किया जो घर से निकले। छोड़ दिया सब साधन पिछले। चलते चलते ध्यान नहीं था। हमको कुछ अनुमान नहीं था। पीड़ाओं का पथ निकला है, सरल सुगम रस्ता समझा था।। सब कुछ यहीं लुटाकर चलना। कम ही बोझ उठाकर चलना। जीवन भर उपकार लिए हैं। हम सबसे उपहार लिए हैं। अपने भी अरमान रखे हैं। बस इतना सामान रखे हैं। लो बन गई गठ्री भारी, हमने तो बस्ता समझा था।। कुछ भी मुफ़्त नहीं है प्यारे। सब कुछ बिकता सड़क किनारे। अपने मन का जाओ ले लो। दाम अगर दे पाओ ले लो। पास रही ना पाई बाबू। समझ सफ़र में आई बाबू। हाय महंगा बहुत पड़ा ?है, जिसको बस सस्ता समझा था।। **- कवि अंकित चहल 'विशेष'**

क्यूँ लगी फुर्सत न उसको आज

क्यूँ लगी फुर्सत न उसको आज इक दीदार को तोड़ दे आकर कोई जबर की दीवार को कब तक रहूँ टटोलती पलकों उजाले आँजते थक गयी हैं उँगलियाँ केशों अँधेरे बाँधते हाथ में भर कर सितारे साँझ तो पसरा गयी नीयत फरेबी बादलों की सब की सब ठुकरा गयी जानती हूँ आज होगा वह भी बहुत मजबूर हर तरफ जो चाहतों के किस्से रहे मशहूर रस्म यह दुनिया की थी अम्बर ने अब वह जान ली इसलिए शायद कपट की जुल्मी चादर तान ली। **-प्रियंवदा अवस्थी**

फेसबुक मानसिकता अवलोकन

फेसबुक मानसिकता अवलोकन का एक बेहद खुबसूरत माध्यम है, हर पोस्ट हकीकत नहीं होता, लेकिन हर पोस्ट के माध्यम से दुनिया को समझने का बेहतर अवसर मिल सकता है। यह प्रयास जारी रहना चाहिए अंतिम सांस तक, अपने आप में सुधार की आस बनी रहती है। **- मीनाक्षी सिंह**

आकाश में उड़ते पंछियों को देखकर

आकाश में उड़ते पंछियों को देखकर अकसर सोचती है लड़कियां ÷ काश वो भी उनकी तरह उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ पाती ÷ ! वो ये क्यों नहीं सोचती कि ÷ अगर वो पंछी भी ऐसा ही सोचते तो क्या वो उड़ पाते ÷ ? क्योकिं बस सोचने भर से कुछ नहीं होता हौसलों को बल देना पड़ता है तभी सपनों को पंख लग पाते है और उड़ान संभव हो पाती है और फिर पुरा आकाश हमारा होता है। **-रूबी प्रसाद**

चाँद का रूप आँखों मैं था रात

चाँद का रूप आँखों मैं था रात भर चाँदनी मैं नहाई धरा रात भर ॥ कोई आँखों पै पटटी को बाँधे हुए ढूँढता ही रहा रास्ता रात भर ॥ रात भर रात रानी सँवरती रही मुस्कुराता रहा आईना रात भर ॥ दिलके टुकड़े को करके जुदा एक बाप सिसकियाँ लेके रोता रहा रात भर॥ रात भर उसका रस्ता मैं तकती रहीवो ना आया मगर बे वफा रात भर॥ मैं भी उसके ख्यालों मे डूबी रही गुनगुनाता ÷गजल÷ वो रहा रात भर। **- सविता वर्मा ''ग़ज़ल''**

सारथी हैं राह में कंकड़

सारथी हैं राह में कंकड बहुत -- पत्थर बहुत चूर है अब अश्व स्यंदन के यहाँ थक कर बहुत। तूण भर उर तीर ले ललकार अर्जुन को थका सामने सुयोधनों की भीड़ खड़ी जम कर बहुत ।सारथी ! हैं राह में कंकड़ बहुत -पत्थर बहुत।

- पंकज कुमार बसंत

रास्तों के बीच रास्ता निकल आता

रास्तों के बीच रास्ता निकल आता है दरवाजों के पीछे लोग रह जाते हैं जो रखते हैं कदम बाहर जाने को वो शिलालेख बन कहानियां कह जाते हैं। **- प्रवीण माटी**

QUIZ TIME

1) छत्तीसगढ़ का कौन-सा नगर निगम है जहां शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया गया?
2) छत्तीसगढ़ का कौन-सा जिला है जो गोधन योजना के तहत गोबर खरीदी में नंबर 1 है?
3) बाबू रेवाराम कहां के निवासी थे?
4) सीताबेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्य शाला कहाँ स्थित है?
5) शयामा स्वप्न किसकी रचना है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) अंबिकापुर (2) राजनांदगांव (3) रतनपुर (4) रामगढ़ (5) ठाकुर जगमोहन सिंह

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1650: इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच डनबर की लड़ाई। 1791: फ्रांस की नेशनल एसेंबली ने फ्रांसीसी संविधान को पारित किया। 1783: अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया।1833: अमेरिका में पहली सफल समाचार पत्र 'न्यूयार्क सन' बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया। 1900 : रूसी सेना ने आमूर नदी पर नियंत्रण स्थापित किया। 1918: प्राचीन इस्लामी नगर दमिश्क़ पर ब्रिटेन की सेना का अधिकार हो गया। 1921: बेल्जियम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1924: चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। 1939: जर्मनी के पोलैंड पर चढ़ाई करने के दो दिन बाद ब्रिटेन-फ्रांस ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1939 : ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चेम्बरलिन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफयुद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1943: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया। 1943: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने हथियार डालने के समझौते पर हस्ताक्षर किये। 1964: अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडी ने इस्तीफा दिया। 1971: कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1984: दक्षिण अफ्रीका ने संविधान अंगीकार किया। 1984: फिलिपीन्स में आये भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल। 2003: पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय। 2006: यूरोप का पहला त्रिवर्षीय चंद्र मिशन समाप्त।

अब किसान भी अमेजन पर खरीद सकेंगे बीज खाद

नई दिल्ली (वार्ता)। ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजन इंडिया ने आज अपने प्लेटफॉर्म पर किसान (फार्मर) स्टोर को लॉन्च किया जहां देश भर के किसानों को उनके दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा के साथ, किफायती कीमतों पर बीज, कृषि उपकरण और एक्सेसरीज़, प्लांट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन आदि जैसी कृषि से जुड़ी वस्तुएं उपलब्ध होंगी।

अमेजन का यह प्रयास भारत सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए की जा रही कोशिशों और कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए तकनीक का लाभ उठाने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस स्टोर का शुभारंभ किया। इस लॉन्च के साथ, देश भर के किसानों को उनके दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा के साथ, किफायती कीमतों पर बीज, कृषि उपकरण और एक्सेसरीज़, प्लांट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन आदि जैसी कृषि से जुड़ी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होंगी। किसान हिंदी, तेलुगु, कन्नड़,

तमिल और मलयालम सहित पांच भारतीय भाषाओं में से किसी में अमेजनडॉटइन पर खरीदारी कर सकते हैं। किसान देश भर में मौजूद 50,000 से अधिक अमेजन ईजी स्टोर्स पर भी जा सकते हैं और असिस्टेड शॉपिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अमेजन ईजी स्टोर के मालिक किसानों को प्रोडक्ट खोजने, उनके पसंद के उत्पाद की पहचान करने, उनका अमेजन अकाउंट बनाने, ऑर्डर देने और खरीदारी में मदद करेंगे। किसान 20 से अधिक ब्रांडों के हजारों कृषि उत्पादों में से अपना पसंदीदा प्रोडक्ट चुन सकते हैं। ये प्रोडक्ट देश भर में मौजूद सैकड़ों छोटे और मध्यम कारोबारियों द्वारा पेश किए जाते हैं। किसान विभिन्न डिजिटल माध्यमों जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, अमेजन पे और डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के साथ ही भुगतान विकल्प के रूप में कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने इस मौके पर कहा, ÷आज अमेजन किसान स्टोरफ्रंट का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस लांचिंग के लिए मैं अमेजन इंडिया की पूरी टीम को बधाई और इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400469

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री संतोष देवांगन आ. स्व. डेरहाराम देवांगन निवासी उतई तह. पाटन व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1096/19 रकबा 0.0100 हें 1000 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400316

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती राजश्री पति संजय साहू निवासी म.न. 276 अण्डी तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 155/9 रकबा 0.020 हें 2248 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202108100700319

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रेमबती यादव पिता/पति बुधारु यादव निवासी ग्राम सरस्वती नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 684/1, 685/1 रकबा 0.005 हे. भूमि को विक्रेता राजेश कुमार वगै. पिता बंशीलाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम ठेठवारपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29.07.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 19.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती हेमिन देवांगन पति विजय कुमार देवांगन निवासी ग्राम गयानगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 851/26 का टु. रकबा 1000 वर्गफीट भूमि को विक्रेता अंजली पुष्टी पति उमेशचंद्र राउत पिता स्व. अशोक कुमार पुष्टी निवासी ग्राम मदनपुर उडिसा से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23.08.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुनील मिश्रा पिता गोपीप्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम गयानगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 851/26 का टु. रकबा 900 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता अंजली पुष्टी पति उमेशचंद राउत पिता स्व. अशोक कुमार पुष्टी निवासी ग्राम मदनपुर उडिसा से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23.08.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.09.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.08.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400468

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती हर्ष साहू पति डुकेश साहू निवासी उतई तह. पाटन व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1096/53 रकबा 0.0200 हें 1670 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400471

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती बरखा वर्मा पति मोरध्वज वर्मा निवासी उतई तह. पाटन व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1362/37 रकबा 0.0220 हें 2398.50 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400470

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती लेखेश्वरी चंद्राकर पति यश्वनी चंद्राकर निवासी उतई तह. पाटन व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 217/24 रकबा 0.0140 हें 1575 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

प्र.क्र.//अ-2/ वर्ष 2020-21
आन.ई. 202109100600002

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती आशामणी पति श्री अनिल लाल मोदी साकिन ए/21 सूर्या रेजीडेंसी ए.जे. कॉलेज के सामने कोहका जुनवानी रोड भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम ठाकुराईनटोला प.ह.न. 37 तहसील पाटन व जिला दुर्ग की स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 382 (0.0800), 383(0.0700), 385 (0.0400), 388(0.1900), 389 (0.0600), 393 (0.1900), 394 (0.0400), 396 (0.3300) हें. भूमि पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 की सहपठित धारा 59 के तहत् पुनर्निर्धारण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 15.09.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकतें हैं। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, पाटन जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400239

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री तेजुमल आहुजा आ. स्व. दुलामल आहुजा निवासी संतराबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 144/17 रकबा 0.017 हें 1900 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400549

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका सुकेशी सुषमा भगत पति सुरेश कुमार भगत निवासी बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 225/36 रकबा 0.0310 हें 3420 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400482

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अवनिकांत सिंह आ. जयप्रकाश सिंह निवासी दीनदयाल कालोनी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 685/17 रकबा 0.023 हें 2600 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400544

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री हरीश विनायक आ. विनायक माधव राव गोखले निवासी हाउसिंग बोर्ड भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 82/2, 85/3, 85/13 रकबा 0.041 हें 4420 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400227

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सतीष मिश्रा आ. विश्राम प्रसाद मिश्रा निवासी प्रोफेसर कालोनी नेहरुनगर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 202/285 रकबा 0.024 हें 2400 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400056

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका आरती साहू पति जितेन्द्र कुमार साहू निवासी उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 355/4 रकबा 0.0200 हें 2252.65 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400505

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिलीप मिश्रा आ. नागेश्वर निवासी रसमड़ा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम रसमड़ा प.ह.न. 05 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 778/3 रकबा 0.030 हें 3267 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202108100400012

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मुन्नी बाई ध्रुवंशी पति योगेन्द्र ध्रुवंशी निवासी शीतला नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 16/24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 912/221 रकबा 0.060 हें 600 वर्गफीट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) फोन : 0771-2436320
Email ID-eocghbzone02@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, थोक बाजार, डुमरतराई, रायपुर में स्थित दुकान क्र. ए-25, (1) श्री पंजूमल रंगलानी पिता हरदासमल रंगलानी (2) श्री राजेन्द्र कुमार लीलारामानी पिता स्व. श्री डॉ. कर्मचंद लीलारामानी, के संयुक्त नाम पर इस कार्यालय का आवंटन आदेश क्रमांक 5721 दिनांक 27.09.2010 द्वारा आबंटित है। आबंटियों द्वारा उक्त दुकान का पूर्ण मूल्य जमा कर अपने पक्ष में दिनांक 06.11.2012 को लीजडीड पंजीकृत उपरांत दिनांक 13.07.2021 को हस्तांतरण विलेख (फ्री-होल्ड) निष्पादित करा लिया गया है। हस्तांतरण विलेख निष्पादन उपरांत उक्त दुकान को हकग्रहिता श्री राजेन्द्र लीलारामानी पिता स्व. श्री डॉ. कर्मचंद लीलारामानी, निवासी- 33/522, गली नं.- 05, सिंधी धरमशाला के सामने, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में दिनांक 19.08.2021 को हकत्याग कर दिया गया है। वर्तमान में हकग्रहिता श्री राजेन्द्र लीलारामानी पिता स्व. श्री डॉ. कर्मचंद लीलारामानी, द्वारा उक्त दुकान को फ्री-होल्ड पश्चात् अपने नाम पर नाम दर्ज किये जाने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त दुकान के नाम दर्ज करने के संबंध में किसी व्यक्ति शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक, अथवा वित्तीय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02
शंकर नगर, रायपुर

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202108100900060
विषयः अ-6 वर्ष 2020-21
खुड़मुडा प.ह.न.00005(571(0.5800 हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार-
कृपाण सोनकर वगै.
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम खुडमुडा प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण कृपाण सोनकर पिता स्व. भिखारी सोनकर अन्य 03 निवासी ग्राम खुडमुडा द्वारा ग्राम खुडमुड़ा प.ह.न. 05 तहसील पाटन स्थित अपने पिता भिखारी, राजाराम, कैलाश पिता रामनाथ के नाम दर्ज संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं. 571, 572, 574, 576 रकबा क्रमशः 0.58, 0.39, 0.31, 0.15 हे. मे खातेदार भिखारी का दिनांक 02.08.2021 को एवं राजाराम का दिनांक 20.06.2016 को फौत होने से नाम विलोपित कर फौती नामांतरण से अपने एवं अन्य वैध वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदकगण श्री कृपाण सोनकर पिता स्व. भिखारी सोनकर अन्य 03 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर उपरोक्तानुसार नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 29.09.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 31.08.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202108100900050
विषयः अ-6 वर्ष 2020-21
अमलेश्वर प.ह.न.00005(612/28(0.0040हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार-
श्रीमती राधिका ठाकुर
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम अमलेश्वर प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती राधिका ठाकुर पति शिवनारायण अन्य निवासी ग्राम रायपुर तह. व जिला रायपुर द्वारा ग्राम अमलेश्वर प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने पति शिवनारायण पिता डेरहा सिंह के नाम दर्ज परिवर्तित भूमि खसरा नं. 612/28 रकबा 385 हे. मे खातेदार शिवनारायण का दिनांक 13.04.2021 को फौत होने से नाम विलोपित कर फौती नामांतरण से अपने दर्ज किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदिका श्रीमती राधिका ठाकुर पति शिवनारायण अन्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर उपरोक्तानुसार नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 17.09.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28.08.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202108100900070
विषयः अ-6 वर्ष 2020-21
अमलेश्वर प.ह.न.00005 हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार-
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम अमलेश्वर प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका भगवती पति प्यारेलाल निवासी गुढियारी तह. व जिला रायपुर द्वारा ग्राम अमलेश्वर प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित क्रयशुदा भूमि खसरा नं. 1004 का टु. रकबा 1600 वर्गफीट का मूल ऋण पुस्तिका नही मिलने से ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदिका भगवती पति प्यारेलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 08.09.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 31.08.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202109100900001
विषयः अ-6 वर्ष 2020-21
ढौर प.ह.न.00024(894/2(0.7000 हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार-
हरिशंकर कुंभकार
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम ढौर प.ह.न. 24 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री हरिशंकर कुंभकार पिता छोटेलाल निवासी ग्राम कोलिहापुरी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम ढौर प.ह.न. 24 तहसील पाटन स्थित भूमिस्वामी ममता डडसेना पति अश्वनी डडसेना के नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 894/2 रकबा 0.70 रकबा हे. को पंजीकृत बैनामा दिनांक 26.06.2020 से क्रय आधार पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु सहित आवेदन प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः कि आवेदिका पार्वती देवांगन पति राजेश देवांगन अन्य द्वारा पंजीकृत बयनामा से उपरोक्त दर्शिता भूमि क्रेता के नाम नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 20.09.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02.09.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-2/ 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सालेहा परवीन पिता/पति इरफान अली निवासी म.न. 11/63 कैलाश नगर वार्ड 11 कुम्हारी तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम/शहर कुम्हारी प.ह.न. 53 में स्थित भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 1456/4 रकबा 0.0100 हें/ 1100 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, धमधा जिला, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

प्र.क्र.//अ-2/ वर्ष 2020-21
आन.ई. 202109100600001

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शांतिदेवी चौरसिया पति ओ.एन. चौरसिया साकिन फ्लेट नं. 104 ब्लाक ए फ्लोर 1 सूर्या रेजीडेंसी कोहका सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम ठाकुराईनटोला प.ह.न. 37 तहसील पाटन व जिला दुर्ग की स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 369/1 (0.0500), 369/2 (0.0500), 369/3 (0.0500), 372 (0.1800), 373 (0.4000), 380 (0.0800), 381 (0.0700), 390 (0.1600), 391 (0.5200), 392 (0.1300) हें. भूमि पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 की सहपठित धारा 59 के तहत् पुनर्निर्धारण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 15.09.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकतें हैं। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, पाटन जिला, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

क्र.412/लो.नि./न.पं./2021 — परपोड़ी, दिनांक 02.09.2021

नगर पंचायत परपोड़ी क्षेत्रान्तर्गत कोरोना वायरस (कोविड-19) के संभावित तीसरी लहर के रोकथाम हेतु आवश्यक सामग्री व उपकरण क्रय करनेहेतु निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं/सप्लायर से निविदा प्रपत्र सी में बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के द्वारा द्वि लिफाफा पद्धति के द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया है।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3
कोरोना वायरस (कोविड-19) से सुरक्षा एवं रोकथाम हेतु आवश्यक सामग्री व उपकरण क्रय कार्य	10-00	13.09.2021

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत परपोड़ी

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं NILESH KUMAR ISHAK S/O NARENDRA ISSAC निवासी 175 MASTERLINE DAK BANGLOW WARD RISAI PARA PASHIM NEAR MODEL SCHOOL DHAMTARI (C.G.) 493773 यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम NILESH ISSAC S/O NARENDRA ISSAC रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम NILESH ISSAC S/O NARENDRA ISSAC से ही जाना पहचाना जावे।

NILESH ISSAC
175 MASTERLINE DAK BANGLOW WARD RISAI PARA PASHIM NEAR MODEL SCHOOL DHAMTARI (C.G.)
493773

न्यायालय नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

प्रकरण क्र. अ-6, 2020-2021

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है आवेदक के0 श्रीनाथ पिता बी0एस0 कंदास्वामी, निवासी- मकान नं. 67, सेक्टर-2, भिलाई, जिला-दुर्ग के द्वारा मौजा- जुनवानी, प0ह0नं0- 53, तह0 व जिला- दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख0नं- 41/1, 41/2, रकबा- 0.4000, 0.7500, कुल ख0नं0- 2, रकबा- 1500 हे0 भूमि को सविलियन किये जाने आवेदन पेश किया है। अतः जिस किसी को आपत्ति आवेदन हो तो पेशी दिनांक 14.09.2021 तक आपत्ति पेश कर सकते है निर्धारित तिथि के बाद आने वाला दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे स्वयं का हस्ताक्षर एवं न्यायालय का पद मुद्रा से जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
PH.NO., 0771-4045819, E-MAIL :- rmczone5@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना//

नामांतरण प्र.क्र. 176/2021-22

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वामनराव लाखे वार्ड क्र. 66 स्थित भवन/भूमि/ RPR 664J00286 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती खुशी सिन्हा पति श्री हेमन्त कुमार सिन्हा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री मनोज कुमार देवांगन पिता श्री शेषनारायण देवांगन ने रजिस्ट्री/लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
PH.NO., 0771-4045819, E-MAIL :- rmczone5@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना//

नामांतरण प्र.क्र. 175/2021-22

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भक्त माता कर्मा वार्ड क्र. 67 स्थित भवन/भूमि/ भू.क्र. 66 ख.नं. 361/1 जो कि निगम अभिलेख में श्री नेचरल स्टेट्स द्वारा भागीदार श्री हर्ष जैन पिता श्री प्रेमराज जी जैन के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती वत्सला देवांगन पिता श्री कीर्तनलाल देवांगन ने रजिस्ट्री/लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
PH.NO., 0771-4045819, E-MAIL :- rmczone5@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना//

नामांतरण प्र.क्र. 174/2021-22

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भक्त माता कर्मा वार्ड क्र. 67 स्थित भवन/भूमि/ सिल्वर ओके अपार्टमेंट, फ्लेट नं. 4016 चतुर्थ तल जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती आरती अग्रवाल पति श्री अविनाश अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्री राधारमन नायक पिता श्री ब्रजबन्धु नायक ने रजिस्ट्री/लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
PH.NO., 0771-4045819, E-MAIL :- rmczone5@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना//

नामांतरण प्र.क्र. 174/2021-22

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भक्त माता कर्मा वार्ड क्र. 67 स्थित भवन/भूमि/ RPR 567F00623 जो कि निगम अभिलेख में डॉ. यैन्दु साहू पिता श्री हेमू साहू के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती सुजाता नामदेव पति श्री खिलेन्द्र नामदेव ने रजिस्ट्री/लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

छत्तीसगढ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन,विभाग
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ.ग.)

//व्यक्तिक (Manual) पद्धति से सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना//

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत प्रशिक्षण जैसे- लाख पालन, मधुमक्खी पालन, दोना पत्तल बनाना, शिल्प कला, उद्यानिकी एवं सेनिटाईजर निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री क्रय के लिये दर का निर्धारण हेतु मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें कार्यालयीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राशि रूपये 1,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो वनमण्डलाधिकारी दन्तेवाड़ा, वनमण्डल के नाम से देय हो जमा कर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र हेतु नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। विवरण निम्नानुसार है -

विवरण	प्रथम निविदा	द्वितीय निविदा	तृतीय निविदा
निविदा फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथि	दिनांक 13.10.2021 समय 5.30 बजे तक	दिनांक 20.10.2021 समय 5.30 बजे तक	दिनांक 25.10.2021 समय 5.30 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 14.10.2021 समय 2 बजे तक	दिनांक 11.10.2021 समय 2 बजे तक	दिनांक 26.10.2021 समय 2 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि	दिनांक 14.10.2021 समय 4 बजे	दिनांक 21.10.2021 समय 4 बजे	दिनांक 26.10.2021 समय 4 बजे
निविदा स्थल	वनमण्डल कार्यालय दन्तेवाड़ा (अविनाशादि)		

जी-63323/3

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में सिकोसा की टीम ने मारी बाजी

गुंडरदेही। गुंडरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम मटेवा में आयोजित पांच दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच सिकोसा और चंगोरी के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में चंगोरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 64 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिकोसा की टीम ने 5 ओवर में ही 65 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। प्रतियोगिता के समाप्ति के बाद ग्रामीणों ने सिकोसा टीम को बधाई दी एवं सराहना की। इस दौरान खिलाड़ी सुखित लहरे, दादू चंद्राकर, डब्बू चन्द्राकर, सुमित पटेल, शुभम विश्वकर्मा, अमित गोयल, महेंद्र निषाद, भावेश डहरे, कांतियादव, बॉबी विश्वकर्मा, राहुल यादव सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे।

खबर का असर : ग्राम रेहची के दो हैंडपंप का किया गया मरम्मत

गुंडरदेही। गुंडरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम रेहची के दो हैंडपंप का मरम्मत किया गया। हैंड पंप मरम्मत होने से आसपास के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिल रहा है। गौरतलब है 2 सितम्बर को ग्राम पंचायत रेहची में दो हैंडपंप के खराब होने के कारण हैंडपंप से पानी नहीं निकलने के संबंध में नव प्रदेश अखबार ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर पंचायत प्रशासन को ध्यानाकर्षण कराया था। नव प्रदेश अखबार में खबर प्रकाशन होते ही पंचायत द्वारा सूखे हैंडपंपों मरम्मत कराया गया। जिसके बाद हैंड पंप से पर्याप्त मात्रा में पानी निकल रहा है। ग्राम रेहची के ग्रामीण गजपति ठाकुर, बाला राम ठाकुर, संदीप ठाकुर, महेश विश्वकर्मा, मुकुंदी ठाकुर ,खेलन विश्वकर्मा ,दीपक ठाकुर ,गोकर्ण ठाकुर ,गौतम ठाकुर ने कहा कि आवास मोहल्ला में घनी आबादी के बीच 3 हैंडपंप में से दो हैंडपंप ख़राब होने के कारण गांव में ग्रामीणो को पेयजल की किल्लत हो रही थी। आज पंचायत द्वारा खराब हैंडपंप का मरम्मत किया गया जिसके बाद हैंडपंप से पानी निकल रहा है। अब ग्रामीणों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

तुलसी वर्षा, सहस्त्र धारा, हवन के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का हुआ समापन

बेमेतरा । कुलदेवी मां चंडी के आशीर्वाद से प्रातः स्मरणीय ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के कृपा पात्र शिष्य ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद महाराज के मुखारविंद से डॉ मेघेश तिवारी कृषक नेता योगेश तिवारी के निवास ग्राम नेवनारा में बैकुंठ वासी मां एवं पिताजी के स्मृति में 24 अगस्त से भागवत ज्ञान यज्ञ का तुलसी व पुष्प वर्षा के साथ भव्य समापन हुआ। अंतिम दिवस ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद महाराज ने श्रोताओं को भागवत महापुराण के विषय में कहा कि सैकड़ों वर्षो से यह महापुराण हिंदू समाज की धार्मिक सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा हैं। इस महापुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, निर्गुण-सगुण तथा व्यक्त- अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण की विशालता और उदान्त काव्य-रमणीयता से ओतप्रोत है यह विद्या का अक्षय भंडार है यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रयताप- आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि का शमन करता है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का बोध कराने वाला यह एक महान ग्रंथ है जीवन में प्रत्येक इंसान को एक बार भागवत कथा का पाठ या श्रवण जरूरी है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

राज्य सरकार की नयी ...

सहयोग, पार्टनरशिप और व्यावसायिक उन्नति की उन संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी, जिसके जरिये राज्य का विकास और तीव्रता से हो पाए। साथ ही समिट के जरिये राज्य के निवासियों के लिए अच्छे वेतनवाली नौकरियां पाने, कार्यकुशलता निखारने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ स्पर्धा करते हुए व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए संभावनाओं की तलाश की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगो और वेबसाइट लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टर्स को सम्बोधित करते हुए कहा कि - ÷मैं छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे इस इनोवेटिव इनवेस्टमेंट मीट की मेजबानी के लिए बहुत उत्सुक हूं। विश्व की अर्थव्यवस्था अब कोविड के संकट से उबर रही है, ऐसे समय में वैश्विक निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ एक मजबूत विकल्प हो सकता है। छत्तीसगढ़ में निवेश उनकी वैश्विक गतिविधियों के संचालन और आर्थिक क्षतिपूर्ति का जीवंत जरिया बन सकता है। छत्तीसगढ़ में सभी प्राकृतिक संसाधन हैं।

घनघोर पूंजीवाद की ओर ...

सरकार का मोहताज होना पड़ रहा है जो थोड़ी बहुत कमाई है वह मंहगी गैस, महंगे पेट्रोल और परिवहन के साधन, मंहगे खाद्य तेल, व अन्य खाद्य सामग्री, में निकल जा रही है बचत के नाम पर आंसू,आंहे, मंदिर और राष्ट्रवाद है।

दूसरी ओर राज्य के प्रतिव्यक्ति आय के आंकड़ों को मजबूत कर रहा पूंजीपति वर्ग है जो इतना कमा रहा है कि सत्तर प्रतिशत आबादी की साढ़े नौ हजार रूपये की प्रतिव्यक्ति आय को चौरानवे हजार रुपए तक खींच देता है। कितना बड़ा फर्क हर महिने दर महिने बढ़ रहा है एक तरफअति गरीबी की ओर बढ़ रही बहुसंख्यक जनता है और दूसरी ओर अति पूंजी की ओर बढ़ रहा कारपोरेट है। आंकड़े बताने वाले दोनों ही स्थितियों को उपलब्धियां बताकर वोटों की फसल काट रहे हैं गरीबों को मुफ्त अनाज का बंटना भी उपलब्धि है और प्रतिव्यक्ति आय का बढ़ना भी उपलब्धि है लेकिन इसके पीछे छिपे घटाघोप अंधेरे और दुर्भाग्य को जनता भुगत रही है।

बार-बार ट्रांसफार्मर उड़ने से किसान परेशान

नवप्रदेश संवाददाता

गुंडरदेही। गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ग्राम कचांदूर के किसान बार-बार ट्रांसफार्मर उड़ने से परेशान है। बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण किसान खेतों में ट्यूबवेल होने के बावजूद पानी की सिंचाई नहीं कर पा रहे है। पानी की कमी के कारण खेतों में दरारे आ गई है एवं फसल नष्ट होने के कगार पर है।

ग्राम कचांदुर के किसान यशपाल साहू, उमेश साहू, शैलेन्द्र साहू, राम चंद्राकर, केदारनाथ चंद्राकर, नारायण ठाकुर, लुतन चंद्राकर, गोपीराम, लुशन चंद्राकर, छत्रपाल साहू ने कहा कि विद्युत विभाग गुंडरदेही द्वारा क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ खेतो में ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की सिंचाई के लिए 27 पोल लगाया गया था एवं इसका संचालन 3 ट्रांसफार्मर के माध्यम से हो रहा था। परंतु एक वर्ष पूर्व दो ट्रांसफार्मर खराब हो गया जिसके बाद सभी पोल को एक ही ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया गया। किसानों ने बताया कि 27 पोल के अंतर्गत लगभग 11 ट्यूबवेल है। जब सभी किसान अपना ट्यूबवेल चालू करते हैं तो एक ही ट्रांसफार्मर होने के कारण ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोड हो जाता है जिससे ट्रांसफार्मर बार-बार उड़ रहा है। कई बार रिपेयरिंग करने के बाद भी ट्रांसफार्मर कुछ घंटे तक चलता है उसके बाद पुनः बंद हो जाता है।

विद्युत विभाग को कई बार इसकी जानकारी दे चुके हैं एवं नए ट्रांसफार्मर की मांग भी कर चुके हैं। इसके बावजूद विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ग्राम कचांदुर के 2 दर्जन किसान अपने खेतों में शुरुआत से अब तक पानी की सिंचाई नहीं कर पाए है। खेत में ट्यूबवेल होने के बावजूद भी किसान भगवान भरोसे बैठे है।

किसानों ने आक्रोशित होते हुए कहा कि प्रति वर्ष धान की फसल रोपने के वक्त किसानों को अघोषित बिजली और लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। हर बार विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान करने की बात करते हैं लेकिन यह समस्या पिछले कई सालों से वैसी की वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कहा अगर बारिश न हो तो ज्यादातर किसान मोटरों का इस्तेमाल कर खेतों में सिंचाई का काम करते हैं। इसके लिए किसानों ने कनेक्शन भी ले रखे हैं लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इस संबंध में विभाग को अवगत करा चुके हैं इसके बाद भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है।

किसान नूतन चंद्राकर ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व जब तीन अलग-अलग ट्रांसफार्मर में 27 पोल का संचालन हो रहा था तब ट्यूबवेल से अच्छा पानी निकल रहा था। जिससे बारिश नहीं होने पर भी खेतों में जलभराव हो जाता था। परंतु बीते 1 वर्ष से बिजली के सही तरीके से सप्लाई नहीं होने के कारण ट्यूबवेल होने के बावजूद पानी के अभाव खेत मे दरारें आ गई। धान के पौधे नष्ट हो रहे हैं जिससे किसान परेशान है।

इस मामले में गुंडरदेही विद्युत विभाग के जेई, देवांगन से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी अन्य जगह पर गए हैं। कल मरम्मत करवाता हूं।

1 से 30 सितम्बर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। पोषण अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का आयोजन जिला गरियाबंद में 01 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य कुपोषण एवं एनीमिया के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाना तथा सुपोषित भारत की अवधारणा को साकार रूप देना है। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का एक प्रमुख उद्देश्य वजन त्यौहार के दौरान चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चो के फॉलोअप हेतु गृहभेंट कर लंबाई/ऊंचाई एवं वजन का मापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन एवं एएनएम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है तथा चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों की जानकारी तैयार की जानी है। पोषण माह के दौरान पौष्टिक सब्जियां, फलदार पौधों को घर की बाड़ियों/सामुदायिक बाड़ियों/खाली पड़ी भूमियों में रोपण करने के साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूल भवनों, शासकीय भवनों में तथा नगरीय क्षेत्रों में घर की छतों पर पोषण वाटिका निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 हेतु 04 मुख्य थीम अनुसार गतिविधियां की जानी है। प्रथम सप्ताह में आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, ग्राम पंचायतो एवं अन्य उपलब्ध सामुदायिक स्थानों पर पोषण वाटिका विकसित करने हेतु वृक्षारोपण किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मातृ वंदना सप्ताह गतिविधि का आयोजन किया जाना है।

राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ग्राम पंचायतों में शुरू हुआ आवेदन लेना

- **भूमिहीन कृषि मजदूर होगें लाभान्वित**
- **पात्र श्रमिकों को मिलेगा 6 हजार रूपये सालाना**

गरियाबंद । जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 01 सितम्बर से ग्रामीण मजदूरों का पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है। ग्राम पंचायत पारागांव में आज योजना के तहत आवेदन लेने का सिलसिला जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल, एसडीएम श्री विश्वदीप की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। डिप्टी कलेक्टर भूपेन्द्र साहू ने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणजनों को योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने ग्रामवासियों को अवगत कराया कि योजना के अंतर्गत चयनित भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जायेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया जा रहा है। योजनांतर्गत कट ऑफ डेट (पात्रता दिनांक) 01 अप्रैल 2021 होगा। 01 अप्रैल 2021 की स्थिति में योजनांतर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी।

कृषि मंत्री ने किया भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पंजीयन कार्य का शुभारंभ

नवप्रदेश संवाददाता

बेमेतरा । कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बुधवार को साजा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्ठी में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पंजीयन कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश मे ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी। योजना के तहत पंजीयन कार्य 1 सितम्बर से 30 नवम्बर तक जारी रहेगा। ग्राम पंचायत कार्यालय मे पंचायत सचिव के पास पंजीयन प्रपत्र जमा होंगे। कृषिमंत्री ने कहा कि इस योजना से पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को फायदा होगा।

कलेक्टर श्री भोसकर ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक भी पात्र होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार से आशय उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता से है, जिसका कोई भी सदस्य कृषि भूमि धारण नहीं करता है। कृषि भूमि धारण नहीं करने का आशय अंशमात्र भी कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि है अर्थात उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह पात्र परिवार की सूची से पृथक हो जायेगा। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जायेगी। मजदूर परिवारों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिए पीड़ितों को सहायता राशि का चेक

साजा । कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे बुधवार को साजा प्रवास के दौरान ब्लाक अध्यक्ष संतोष वर्मा के साथ ग्राम ढाप व चोरभट्टी पहुँच कर शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उनको सहायता राशि का चेक प्रदान किया। मंत्री श्री चौबे ग्राम ढाप निवासी बलकरन वर्मा एवं चोरभट्टी निवासी भागबाली निषाद व इंदरमन निषाद के परिजनों के साथ मुलाकात कर गत दिवस की आकस्मिक घटना के बारे में जानकारी ली एवं शासन की ओर से सहायता राशि 1-1 लाख रुपए की राशि कुल 4 लाख रुपए चेक के माध्यम से प्रदत्त किया।

ज्ञात हो कि गत दिवस ग्राम ढाप निवासी बलराम वर्मा के धर्मपत्नी व सुपुत्री के सर्पदंश के कारण एवं चोरभट्टी निवासी भगबली निषाद व इंदर मन निषाद की सुपुत्र एवं सुपुत्री का दीवाल ढहने के कारण मृत्यु हो गया था। जिसे मंत्री रविंद्र चौबे ने तुरंत संज्ञान में लेकर आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति जल्द से जल्द दिलाई व स्वयं पीड़ितों से भेंट कर शोकाकुल परिवारों के दुख में भागीदार बनें। उक्त दौरे में कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान, कालेज अध्यक्ष परस सिन्हा, अध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि मनोज जायसवाल, परपोड़ी अध्यक्ष प्रतिनिधि गुड्डू जायसवाल, कोंगियाकला सोसायटी अध्यक्ष संजू सिंह चंदेल, केहका सोसायटी अध्यक्ष कृपाराम साहू, ईश्वर वर्मा सरपंच बीजागोंड, अंजोर यदु एनएसयूआई अध्यक्ष साजा, जेदूराम साहू सरपंच बिरनपुर, जिपं सीईओ रीता यादव, जपं सीईओ क्रांति ध्रुव,

यादव समाज का छत्तीसगढ़ के विकास और संस्कृति को सहेजने में बड़ा योगदान : आशीष छाबड़ा

बेमेतरा - बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेरला ब्लाक के ग्राम आनंदगांव में यादव समाज 16 पार एवं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में मुख्य आतिथ्य बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। यादव समाज एवं ग्रामवासियों के द्वारा अतिथगणों का राउत नाचा सहित जगह जगह फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। सर्वप्रथम विधायक आशीष छाबड़ा ने भगवान श्री कृष्ण मंदिर पहुंच पूजा अर्चना किए। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक श्री छाबड़ा ने कहा कि आज ग्राम आनंदगांव में यादव समाज के भाईयों के द्वारा हर्षोउल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन रखा गया है, छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्ग और समाज को साथ लेकर विकास कार्यों को पूरा कर रही है।

न्यायालय तहसीलदार पाटन
जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार
मा.क्रं. 202108100900061
विषयः अ-6 वर्ष 2020-21
खुड़मुडा प.ह.न.00005(154(0.3000 हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार-
कृपाण सोनकर वगै.
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम खुडमुडा प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण कृपाण सोनकर पिता स्व. भिखारी सोनकर अन्य 03 निवासी ग्राम खुडमुडा द्वारा ग्राम खुडमुड़ा प.ह.न. 05 तहसील पाटन स्थित अपने पिता भिखारी नाम दर्ज संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं. 154, 587, 611 रकबा क्रमशः 0.30, 0.17, 0.22 हे. मे खातेदार भिखारी का दिनांक 02.08.2021 को फौत होने से नाम विलोपित कर फौती नामांतरण से अपने एवं अन्य वैध वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदकगण श्री कृपाण सोनकर पिता स्व. भिखारी सोनकर अन्य 03 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर उपरोक्तानुसार नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 29.09.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 31.08.2021 को जारी किया गया है।

मुहर
तहसीलदार
पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

केनरा बैंक Canara Bank — भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking — सिंडिकेट Syndicate
शाखा: पद्मनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)
फोन : 0788-2340412

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस परिशिष्ट IV नियम 8(1)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन केनरा बैंक की निम्नांकित शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण लेने वाले निम्नलिखित बकायेदार को निम्नांकित सारणी के अनुरूप मांग सूचना तथा उसमें उल्लिखित रकम उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए जारी की थी।

ऋण लेने वाले द्वारा रकम का प्रतिदेय करने में असफल रहने पर, ऋणी/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त (अधिनियम) की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणी/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों में कोई लेन-देन न करें और उसमें किसी प्रकार का लेन-देन केनरा बैंक की निम्नांकित संबंधित शाखा को देय बकाया राशि एवं उस पर ब्याज आदि के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आकर्षित किया गया है।

क्र.सं.	ऋणी का नाम	कब्जाधीन सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना राशि	मांग सूचना तिथि / कब्जा सूचना तिथि
1.	श्रीमती गीता शुक्ला एवं श्री राजेश शुक्ला	मालिक- श्रीमती गीता शुक्ला पति- श्री राजेश शुक्ला- खसरा नं. 57/214, आकाश नगर, मौजा- सिकोला, तहसील व जिला- दुर्ग, माप 1500 वर्गफिट में स्थित आवासीय मकान प्लॉट नं. 6-सी एवं संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश। चौहद्दीः उत्तर- गीता शुक्ला द्वारा खरीदी जा रही 50' भूमि, दक्षिण- संतोष मानिकपुरी का 50' प्लॉट नं. 8, पूर्व की ओर- 30' प्लॉट नं. 05, पश्चिम- 25'-30' चौड़ी सड़क।	₹ 23,42,080.09/- ब्याज एवं उस पर लागू शुल्क के साथ।	24.05.2021 / 01.09.2021
2.	श्री सचिन धावरे	मालिक- श्री सचिन धावरे पिता- स्व. श्री यादो राव धावरे- खसरा नं. 845/552, 845/555, साई नगर, उरला (पूर्व), वार्ड नं. 58, तहसील व जिला- दुर्ग, माप 500 वर्गफिट में स्थित आवासीय मकान का प्लॉट नं. सी व डी एवं संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश। चौहद्दी- उत्तर- 30 फिट चौड़ी सड़क, दक्षिण- सुनीता सोनकर का मकान, पूर्व की ओर- रविन्द्र चौधरी का मकान, पश्चिम- अभिलाषा चौधरी का मकान।	₹ 10,82,566.48/- ब्याज एवं उस पर लागू शुल्क के साथ।	24.05.2021 / 01.09.2021

दिनांक : 02.09.2021, स्थानः दुर्ग (छ.ग.) — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्नलिखित हितग्राहियों को आवासीय भू-खण्ड/भवन/दुकान 30 वर्ष के लीज मे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है, उक्त भू खण्ड/भवन/फ्लैट/दुकान को फ्री-होल्ड के लिए निर्धारित प्रारूप मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका फ्री-होल्ड संपरिवर्तन किया जाना है।

अतः इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र.	आबंटी का नाम	भवन/भू-खण्ड/दुकान क्र.	क्र.	आबंटी का नाम	भवन/भू-खण्ड/दुकान क्र.
सामान्य आवास योजना शंकर नगर रायपुर			सरदार वल्लभ भाई पटेल, थोक बाजार, डूमरतराई, रायपुर		
1	श्री निर्मलकांत श्रीवास्तव पिता स्व. श्री तुलसी प्रसाद	एच.आई.जी.-07 सेक्टर-1	12	श्री दिलीप कुमार राजपाल पिता श्री नन्दलाल राजपाल	ए-44
सामान्य आवास योजना कचना फेस-1			13	श्री प्रकाश कुमार पंजवानी पिता श्री म्यालदास पंजवानी	डी-89
2	श्री अश्वनी गुप्ता पिता स्व. श्री एम.पी. गुप्ता	एच.आई.जी. डुप्लेक्स डीलक्स 02 के पास रिक्त भूमि	14	1. श्री आशीष मंगवानी पिता श्री पाकमल मंगवानी 2. श्री पंकज गुलानी पिता स्व. श्री लालचंद गुलानी	सी-110
सरदार वल्लभ भाई पटेल, थोक बाजार, डूमरतराई, रायपुर			15	श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी साहू पति स्व. श्री चन्द्र प्रकाश साहू	सी-142
3	श्री भीष्म लाल सुंदरानी पिता स्व. श्री एस.एम. सुंदरानी	बी-163	16	श्री तुषार जैन पिता श्री सोहन लाल जैन	सी-105
4	श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री शिव प्रसाद अग्रवाल	बी-153	17	श्री नितिन उपाध्याय पिता श्री डी.आर. उपाध्याय	सी-16
5	श्री अरविंद कुमार साहू पिता स्व. श्री रामचंद साहू	बी-148	18	श्री राकेश आहूजा पिता स्व. श्री प्रकाश चंद आहूजा	सी-75
6	श्री बसंत कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री चुन्नीलाल अग्रवाल	बी-151	19	श्री कमलेश कुमार कटारिया पिता स्व. श्री हरजीवन भाई कटारिया	सी-137
7	श्री प्रदीप प्रेमचंदानी पिता श्री देवीलाल प्रेमचंदानी	बी-74	20	श्री राजीव गोयल पिता श्री रामकिशन गोयल	ए-67
8	श्री राजेश सचदेव पिता स्व. श्री रामचंद सचदेव	बी-104	21	श्री विजय अग्रवाल पिता श्री रामजी लाल अग्रवाल	ए-40
9	श्री शंकर लाल मंगवानी पिता स्व. श्री अर्जुन मंगवानी	बी-135	22	श्री नरेश कुमार मंगवानी पिता स्व. श्री अर्जुनदास मंगवानी	ए-36
10	श्री चन्दूलाल छुगानी पिता स्व. श्री मारूमल छुगानी	बी 69	23	श्री इम्तेयाज सुलेमान पिता स्व. श्री सुलेमान युसुफ	ए 76
11	श्री त्रिलोक संगतानी पिता स्व. श्री किशनचंद संगतानी	बी-122	24	श्री अनिल कुमार राजपाल पिता श्री नन्दलाल राजपाल	ए-45

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल
प्रक्षेत्र-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

न्यूज गैलरी

ममता सिंह को पीएचडी की उपाधि

राजनांदगांव/नवप्रदेश। पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय ने एस अहमद की कहानियों में अंतर्निहित संवेदना विषय पर श्रीमती ममता सिंह को पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उन्होंने अपना शोध कार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुढियारी की सहायक प्राध्यापक डॉ. वंदना कुमार के निर्देशन में एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉ. मधुलता बारा के सह.निर्देशन में पूर्ण किया है।

जिला एमयोंच्योर बॉक्सिंग संघ के संयोजक बने वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन केशरवानी

भाटापारा/नवप्रदेश। मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स एकेडमी में बलौदाबाजार जिला एमयोंच्योर बॉक्सिंग संघ की बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष डॉ. विकास आडिल, उपाध्यक्ष अमित तिवारी, योगेश कटिलिहाल, सचिव पी. सुरेश राव, सहसचिव नेहा वर्मा, कोषाध्यक्ष पीताम्बर साहू एवं सदस्य भीषम वर्मा, शुभम तिवारी, राहुल शर्मा, यशवंत ध्रुव, नेहा साहू की उपस्थिति में सर्वसम्मति से राकेश गिडवानी को संरक्षक तथा भाटापारा नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन केशरवानी को संयोजक मनोनीत किया गया। राकेश गिडवानी ने संरक्षक निर्वाचित होने पर जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यों का आभार व्यक्त किये तथा बॉक्सिंग खेल को बलौदाबाजार जिले में अन्य खेलों की तरह बढ़ाने लिए सभी सदस्यों को प्रेरित किये तथा संयोजक निर्वाचित होने पर मोहन केशरवानी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए संघ को हर संभव मदद देने की बात कही।

महिलाओं को आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही है दामिनी साहू

राजनांदगांव/नवप्रदेश। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑल वालेंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव दामिनी साहू को बनाये गए। दामिनी साहू छत्तीसगढ़ के 28 जिलों एवं 148 विकासखंड में महिला स्व सहायता समूह गठन कर साबुन, फिनाईल एवं निरमा बनाने के प्रशिक्षण देखकर आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही है। दामिनी साहू अपना सपना महिला स्वयं सहयता के अध्यक्ष है। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार के लिए काम कर रही है। फाउंडेशन में रहकर अन्य राज्यों के महिलाओं को भी जानकारी एवं महिला आयोग महिला बाल विकास विभाग के योजनाओं को गांव गांव विकेंद्रीकरण उनके द्वारा किया जा रही है।

शासन द्वारा नक्सल पीड़ितों को पुर्नवास योजना के तहत दी गई कई सुविधाएं

राजनांदगांव/नवप्रदेश। शासन द्वारा नक्सल पीड़ितों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में नक्सल पीड़ितों को पुर्नवास योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है। जिले में 118 नक्सल पीड़ित हैं जिनमें से 72 नक्सल पीड़ितों को शासकीय नौकरी दी गई है। 100 नक्सल पीड़ितों को पुर्नवास योजना के तहत राज्य आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं 30 को केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी गई है। सभी 118 नक्सल पीड़ितों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड दिया गया है। 95 व्यक्तियों को यात्री बसों में 50 प्रतिशत छूट दी गई है। 35 नक्सल पीड़ित बच्चों को पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति अथवा राष्ट्रीय साप्रदायिक सदभाव संस्थान से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

ग्राम जीताटोला में मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस

कवर्धा/नवप्रदेश। नेहरु युवा केंद्र कवर्धा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान एवं सौरभ कुमार निषाद जिला युवा अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में चारों ब्लॉक में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल जैसे खो खो, कबड्डी, रस्सी कसा , वॉलीबॉल, रस्सी कूद, दौड़ प्रतियोगिता रखा गया। जिसमें राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक मोहन साहू एवं संकल्प एकता युवा मंडल डगनिया के द्वारा ग्राम जीताटोला में बालक और बालिका के बीच खो खो खेल का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर संकल्प एकता युवा मंडल डगनिया के परमेश्वर साहू अध्यक्ष, यशवंत कुंभकार; उपाध्यक्ष, कैलाश मेरावी, सचिव, धर्मेंद्र मेरावी, सोनसिंह साहू, उमेश साहू, दुर्गेश साहू, धनुष साहू, किशन यादव सभी सदस्यगण उपस्थित थे।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आधारित फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता का किया आयोजन

कवर्धा/नवप्रदेश। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम द्वारा पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है। पोषण अभियान में व्यवहार परिवर्तन एवं संप्रेषण को एक प्रमुख घटक रखा गया है। इस वर्ष भी सितम्बर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 2 सितम्बर 2021 थीम अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आधारित फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चे हरे-भरे वेषभूषा में पोषण का संदेश दे रहे है। सेक्टर रवेली पर्यवेक्षक श्रीमती अल्का बर्वे के सेक्टर रवेली में पोषण वाटिका फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें आंगनबाड़ी के बच्चों और गाँव के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिली। सभी आँगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं नें केंद्र के बच्चों को फूल, पत्ती, फ्ल, सब्जियों, का प्रयोग कर पोषाक बनाकर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जिसमें खड़ौदाखुर्द 1 की कार्यकर्ता श्रीमती योगेश्वरी साहू ने शिवानी को पोषण देवी बनाया।

निधन

गुरमीत कौर

भाटापारा/नवप्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष मनिंदर सिंह सोनी गुंबर की धर्मपत्नी गुरमीत कौर 55 वर्ष का गुरुवार 2 सितंबर की सुबह 5:00 बजे रायपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया जिन का अंतिम संस्कार नगर के हिंदू मुक्तिधाम में दोपहर 2:00 बजे किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में काफी तादाद में भाजपा परिवार के सदस्य एवं उनके रिश्तेदार तथा मित्रगण शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जहां भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को मिलेगा लाभः चंद्रप्रभा सुधाकर

■ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

बालोद/नवप्रदेश।। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य चंद्रप्रभा सुधाकर ने प्रदेश में 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के लिए पंजीयन की शुरूआत के अवसर पर मजदूर भाईयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जुड़ गया है।

इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरूआत 1 सितम्बर से हो गई है। पंजीयन का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धन राशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में,

कर्ज के दुष्चक्र में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। जिस तरह से किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया है, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी।

कांग्रेस का यह बहुत बड़ा सपना था कि किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें। बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है।

सुधाकर ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से हम प्रदेश के सर्वाधिक जरूरतमंद परिवारों की मदद कर पाएंगे। न्याय योजना की यह नई कड़ी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकर ने योजना के लिए पात्र मजदूर भाइयों और बहनों से अपना पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि इसी वर्ष में उन्हें योजना का लाभ देने की शुरूआत हो जाएगी।

पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' का पंजीयन मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।

तुमडीबोड़ में साहू समाज का प्रशिक्षण कार्यशाला हुए संपन्न

■ कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नेताद्वय दलेश्वर साहू व संदीप साहू हुए शामिल

राजनांदगांव/नवप्रदेश। डोंगरगांव तहसील के तुमड़ीबोड परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले 16 गांव के ग्राम साहू समाज इकाई के चुनाव संपन्न होने के पश्चात सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण एवं समाज के संचालन हेतु उनके रीति-नीति पर समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू तथा नवनियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला साहू संघ राजनांदगांव के महामंत्री अमरनाथ साहू ने की। विशेष अतिथि के रुप में जिला साहू संघ के उपाध्यक्ष श्रीमती नीरा साहू, चुम्मन साहू, मदन साहू, भुवाल साहू, अंजोर सिंह साहू, सोनू राम साहू, खेलू राम साहू, मदन साहूए उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि दलेश्वर साहू ने कहा कि समाज संचालन की जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति है, उन्हें अपने-अपने कर्तव्यों का पूर्णता इमानदारी से पालन करते हुए समाज की को नई दिशा देने का कार्य करने होंगे। तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू ने कहा की पूरे देश में साहू समाज की ओर से इस बोर्ड की गठन करने की मांग लंबे अरसे से समाज द्वारा की जा रही थी, किंतु यह सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला जिसके लिए मंच से उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समाज की मांग को मानते हुए देश का पहला तेलघानी बोर्ड बनाए जाने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम को अमरनाथ साहू, सोनू राम साहू, अमरोतन साहू, श्रीमती नीरा साहू, डा. निरेंद्र साहू, मदन साहू आदि ने भी संबोधित कर सामाजिक संदेश दिए। इसके पूर्व भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुभारंभ की गई तथा 16 गांव के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से क्षेत्र अध्यक्ष हेम सिंह साहू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी मुख्य अतिथि के कर कमलों प्रदान किया गया।

संदीप साहू के प्रथम आगमन पर युवाओं ने किया जोशीला स्वागत व अभिनंदन

छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष बनने के बाद राजनांदगांव जिला में प्रथम आगमन पर ग्राम तुमड़ीबोड पहुंचने के पूर्व युवाओं ने वासु साहू, दीपक साहू, भुवाल साहू के नेतृत्व में बाइक रैली निकाल कर 2 कि मी पूर्व से स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। मंच पर संदीप साहू का नागरिक अभिनंदन परिक्षेत्रीय साहू संघ द्वारा किया गया।

हरियर अभियान के तहत किए वृक्षारोपण

जिला स्तर साहू समाज द्वारा चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हरियर अभियान के तहत संदीप साहू ने पौधारोपण किया, इसके साथ ही सभी अतिथियों व पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कर सुरक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में हेम सिंह, हेमंत साहू, डीकेश साहू, दिनेश साहू, ओम प्रकाश साहू, लोकेश साहू, महेंद्र साहू, आनंद साहू, प्रेमकिशन साहू, समीर साहू, तिमेश साहू, इंद्रसेन साहू, घनेंद्र साहू, राजेश साहू, राजा साहू, योगेश साहू, मोहन साहू, संतराम साहू, मनोज साहू, हेमंत साहू, भगवान दास साहू, विजेलाल साहू, विजय साहू, रामविलास साहू, खेमचंद साहू, जमुना साहू, थनवार साहू, एसआर साहू, बीआर साहू आदि सहित बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन एनडी साहू वह हेमंत साहू ने किया तथा आभार प्रदर्शन दीपक साहू ने किया।

खम्हरिया स्कूल में लगा नल टेप

भाटापारा/नवप्रदेश। भाटापारा विकासखंड अंतर्गत मल्दी संकुल के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खम्हरिया में ग्राम पंचायत के द्वारा तकनीकी जल नल योजना के तहत विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य हितो के मद्देनजर टेप नल एवं पानी टंकी का व्यवस्था किया गया वंही संकुल समन्वयक रविन्द्र पाठक के उपस्थिति में उक्त व्यवस्था का अवलोकन किया गया साथ ही हर्ष व्यक्त करते हुए परिसर में नलजल व्यवस्था पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने ग्राम पंचायत खम्हरिया के सरपंच लक्ष्मी नरेंद्र यदु का आभार प्रकट किया ।इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक अमित कुमार सिंग, शिक्षिका प्रभा साहू, सीमा मिश्रा पंचायत सचिव राधेश्याम टंडन उपस्थित रहे।

ना बोर्ड ना इंजीनियर मजदूरों के भरोसे लाखों का सीसी सड़क निर्माण

देवभोग/नवप्रदेश। आम जनता की जानकारी में कार्य किया जाए इसके लिए राज्य सरकार ने निर्माण कार्य कराने से पहले कार्यस्थल पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। ताकि पारदर्शिता के साथ कार्य कराया जाए। लेकिन विभागीय अफसरों की संरक्षण से ठेकेदार बोर्ड निर्माण नहीं करा कर मनमर्जी अनुसार लीपापोती कर गायब हो जाते हैं।

जिसका नुकसान स्कूली छात्र छात्रों के अलावा आम जनता को भी उठाना पड़ता है। कुछ इस तरह गाड़ाघाट परिसर पर बनाए जा रहे सीसी सड़क पर देखने को मिल रहा है। यहां के कार्यस्थल में ना बोर्ड लगाया है। और ना संबंधित इंजीनियर मौजूद होते हैं। जिसके चलते अनभिज्ञ ग्रामीणों को लागत और प्रावधान की जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इसका फायदा उठाकर ठेकेदार के कर्मचारी अपने अनुसार लीपापोती कार्य करा रहे हैं।

यहां बताना लाजमी होगा कि मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर गाड़ाघाट स्कूल परिसर पर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार द्वारा सीसी सड़क निर्माण कराया जा रहा है। समतलीकरण से लेकर मुरमी से लेवल तक की कार्य हो चुका है। इस बीच मटेरियल क्वालिटी को लेकर अभी से सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि कितनी गहराई में समतलीकरण किया जाना है। किस स्तर का मुर्मी उपयोग होना है। ऐसे नियम अधिकारी और ठेकेदार के बीच रह गया है। तभी कार्य प्रारंभ हुए सप्ताह बीत गया लेकिन अब तक बोर्ड नहीं लगाया गया है।

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चंद घंटे में पुलिस के गिरफ्त में

राजनांदगांव/नवप्रदेश। प्रार्थीया द्वारा 31 अगस्त 2021 को थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 31 अगस्त 2021 के प्रातः 8 बजे घर के सामने बैठी थी, उसी समय पड़ोस के रहने वाले रविन्द्र मिश्रा उर्फगोलू मिश्रा द्वारा बेईज्जती करने के नियत से लज्जा भंग कर मां बहन की गंदी-गंदी गाली देकर हाथ मुक्का से मारपीट करने की लिखित आवदेन पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 370/2021 धारा 294, 323, 354 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम तथा नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवागंन के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बसंतपुर आशिर्वाद रहटगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना बसंतपुर के महिला प्रधान आरक्षक सविता वर्मा, प्रधान आरक्षक शिव नेताम एवं आरक्षक मोहसिन खान का आरोपी को पकड़ने में मुख्य भूमिका रही इस कार्यवाही से निश्चित ही आम जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है।

क्षेत्र के जलाशय में पानी नहीं भगवान भरोसे सैकड़ों किसान

देवभोग/नवप्रदेश। क्षेत्र में अल्प वर्षा की वजह से खेतों में तो दूर की बात है। जलाशय मैं तक पानी देखने को नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि जलाश्य पर निर्भर किसानों में से 30% किसानों को फसल उत्पादन के लिए पानी नहीं है जबकि जलाशयों के भरोसे सैकड़ों हेक्टेयर खेत है।

जलाशय का नाम	रकबा वर्तमान	जलभराव प्रतिशत
घुमरा पदर	1 हजार	15 प्रतिशत
आड़ पाथर	12 सौ	35 प्रतिशत
धूप कोट	3 सौ 20	35 प्रतिशत
कोदोभाटा	89	100 प्रतिशत
नागा बहाल	73	30 प्रतिशत

ऐसे में किसान आसमान की तरह देख आस लगाए हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार की ओर मुंह ताके हुए हैं क्योंकि हालत नहीं बदली तो सप्ताह भर मैं बांध से पानी सप्लाई बंद करने की नौबत आ सकती है। इससे किसानों की हालत और भी पतली हो जाएगी आपको बता दे की क्षेत्र पर घुमरापदर धूपकोट और आठपथर सहित 12 छोटे-बड़े जलाशय हैं। जिसके भरोसे 3000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि हैं। मगर जलाशय पर वर्तमान में कहीं 15% जलभराव है। तो कहीं 57% पानी है। ऐसे में अधिकांश दिन बादल छाने की जगह गर्मी की तरह कड़ी धूप पड़ रही है। जिसे देख किसानों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो पाया है और फसलों की दयानी स्थिति देख सिंचाई विभाग खानापूर्ति पानी छोड़ने को मजबूर है। इसलिए धीरे-धीरे पानी देने की कवायद चल रही है।

कलेक्टर ने लिया जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा

कवर्धा/नवप्रदेश। जिला अस्पताल परिसर में लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट की कार्य प्रगति जानने के लिए आज जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा जिला अस्पताल पहुचे। उन्होंने प्लांट के कार्यों की जानकारी लेते हुए सर्व सम्बन्धितों को सख्त निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित कार्यों का निपटारा करके प्लांट शुरू कर दें।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कबीर नगर रायपुर में निर्मित एमआईजी डीलक्स योजना में से भवन/भूखंड क्र. एम.आई.जी. डीलक्स-85 फेस-2 में (1) श्री विकास शर्मा, (2) श्री विवेक शर्मा, (श्री) नवल किशोर शर्मा तीनों के पिता श्री पुरुषोत्तम शर्मा को एकमुश्त/स्ववित्तीय/ऑफर आधार पर संयुक्त नाम पर आबंटित किया गया है। उनके द्वारा दि. 16.04.2013 को लीजडीड/सेलडीड/विक्रय विलेख पंजीकृत करा लिया गया है। (1) श्री विकास शर्मा, (2) श्री विवेक शर्मा, दोनों के पिता श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा उक्त भवन श्री नवल किशोर शर्मा पिता श्री पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में दिनांक 25.08.2021 को हक त्याग इकरारनामा कर दिया है।

प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखण्ड हकग्रहिता श्री नवल किशोर शर्मा पिता श्री पुरुषोत्तम शर्मा के एकल नाम पर किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

कार्यालय- संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र-दुर्ग

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कोकिला साहू पति श्री ललित साहू, निवासी-शांति नगर भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग अंतर्गत भवन क्रमांक एलआईजी-294, उमदा भिलाई, जिला दुर्ग में आबंटित हुआ है, आबंटी श्रीमती कोकिला साहू के द्वारा उक्त भवन का विक्रय पत्रक उप पंजीयन कार्यालय दुर्ग से दिनांक 13.06.2016 एवं फ्री होल्ड निष्पादन दिनांक 08.07.2021 पश्चात्, उक्त भवन बयनामा रजिस्ट्री दिनांक 07.08.2021 को श्रीमती उमा भारद्वाज पति श्री सुरेश कुमार भारद्वाज के नाम पर विक्रय कर दिया गया है। नवीन क्रेता श्रीमती उमा भारद्वाज के द्वारा पंजीकृत दस्तावेज आधार पर उक्त भवन का स्वामित्व मंडल अभिलेख में अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः नवीन क्रेता श्रीमती उमा भारद्वाज के नाम पर हस्तांतरण/नामांतरण किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति, वारिसान, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था बैंक, वृत्तिय निकायों इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर लिखित में आपत्ति /दावा इस कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें बाद में प्राप्त आपत्ति/ दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए मंडल स्वतंत्र रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय के मोहर के साथ आज दिनांक 24/08/21 को जारी किया गया।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
प्रक्षेत्र- दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत-नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)
Phone/Fax No. 07700-25887 E-mail-cmonagri84@gmail.com
क्र.542/न.पं./लो.नि.वि./2021-22 नगरी, दिनांक 02.09.2021

//मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना//

नगर पंचायत नगरी, जिला-धमतरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 अध्यक्ष/पार्षद निधि अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु निविदा सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं स्पीड/रजिस्टर्ड डाक के द्वारा निविदा प्रपत्र ए/बी/सी में तीन लिफाफा पद्धति से आमंत्रित किया जाता है। इस कार्य हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर निविदा प्रपत्र कार्यालयीन दिवस/अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

क्र.	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि
1	2	3
1	वार्ड क्र. 12 पानी टंकी के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (अध्यक्ष/पार्षद निधि वर्ष 2020-21)	दिनांक 16.09.2021

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की विस्तृत/सामान्य शर्तें धरोहर राशि निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से एवं विभागीय वेबसाईट http://uad.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत - नगरी

कार्यालय नगर पालिका परिषद सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
E-mail ID -cmonppsaraipali@gmail.com
क्र.523/न.पा.प./लो.नि.वि./2021-22 सरायपाली, दिनांक 01.09.2021

//मैनुअल पद्धति प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना//

नगर पालिका परिषद सरायपाली क्षेत्रांतर्गत एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति में रजिस्टर्ड/पंजीकृत डाक के माध्यम से निविदा प्रपत्र 'अ' अंतर्गत प्रचलित एस.ओ.आर. CGPWD BUILDING ROAD SOR.w.e.f. on 01.01.2015 से प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है।
1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि - 24.09.2021 समय 05.30 बजे अपरान्ह तक।
2. निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि - 27.09.2021 समय 05.30 बजे अपरान्ह तक।
3. निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि - 04.10.2021 समय 03.00 बजे अपरान्ह तक।
4. प्रस्तुत निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि - 04.10.2021 समय 03.30 बजे अपरान्ह से।

क्र.	कार्य विवरण	अनु. लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि	समय सीमा	सक्षम श्रेणी
1.	मुख्य मार्ग से मंगल भवन तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	15.98	16000.00	04 माह	"द" एवं उच्चतम श्रेणी
2.	वार्ड क्र. 09, 12 एवं 13 में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। (06 कार्य)	12.10	12500.00	04 माह	
3.	विभिन्न वार्डों में बोर खनन (सबमर्सिबल पंप स्थापना सहित) कार्य। (15 कार्य)	16.40	16500.00	04 माह	
4.	वार्ड क्र. 05, 06, 07 एवं 12 में आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य। (07 कार्य)	19.19	19500.00	04 माह	
5.	वार्ड क्र. 03, 04, 05 एवं 08 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (04 कार्य)	18.50	18500.00	04 माह	

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://uad.cg.gov.in से एवं कार्यालय के सूचना पटल में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
टीप - निविदा हेतु भौतिक दस्तावेज रजिस्टर्ड/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, सरायपाली

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग (छ.ग.)
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 81822/निविदा सूचना क्र. 03/वलेलि/2021-22, बेमेतरा, दिनांक 31.08.2021

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 21.09.2021 17.30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम - बेमेतरा जिले के विकासखण्ड-साजा की गातापार जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग तथा लाईनिंग कार्य।

अनुमानित लागत - रु. 96.33 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 07.09.2021 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।

नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवाय है।

जी-63317/6

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, बेमेतरा (छ.ग.)
कृते-अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मण्डल दुर्ग (छ.ग.)

पुलिस अधीक्षक कोरिया का अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईएसीपी अवार्ड 2021 के लिए किया चयन

- **विश्व के 6 देशों के 40 पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा ये सम्मान**
- **पुलिसिंग में किए गए अच्छे कार्यों के आकलन के आधार पर दिया जाता है यह अवार्ड**

नवप्रदेश संवाददाता

बैकुंठपुर । पुलिस अधीक्षक कोरिया, संतोष कुमार सिंह को अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था आईएसीपी (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस) ने ÷आईएसीपी अवार्ड, 2021÷ से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस पुलिस संगठन में विश्व के 165 देशों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। संतोष सिंह को यह अवार्ड '40 अंडर 40' कैटेगरी में दिया जा रहा है। यह विश्व के 40 वर्ष से कम आयु के ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने बेहतर नेतृत्व क्षमता के साथ पुलिसिंग कार्यों में नये प्रयोगों एवं अच्छे कार्यों से परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, उन्हें दिया जाता है। कोरिया पुलिस अधीक्षक सिंह को उनके द्वारा पिछले आठ वर्षों में बेहतर पुलिसिंग व पुलिस की छवि सुधारने में किये गये कार्यों के आकलन के आधार पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। इस बार विश्व के 6 देशों- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और भारत के 40 पुलिस

अधिकारियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा। इसमें देश से उत्तरप्रदेश कैडर के आईपीएस अमित कुमार का नाम भी शामिल है। द आईएसीपी प्रतिवर्ष इस तरह के अवार्डस सितंबर माह में अपने वार्षिक समारोह में घोषित करता है और अगले साल के समारोह में अवार्ड पाने वाले को अपने मुख्यालय टेक्सास में व्यक्तिगत रूप से बुलाकर सम्मानित करता है। अधिकारियों को अक्टूबर 2022 में टेक्सास, अमेरिका में यह अवार्ड प्रदान किया जायेगा। पूर्व में छत्तीसगढ़ से डीआईजी ईओडब्ल्यू आरिफ शेख को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि संतोष सिंह ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक सराहनीय काम किया है। महासमुंद पदस्थापना के दौरान बाल हितैषी पुलिसिंग को मजबूत करते हुये लगभग एक लाख बच्चों को सेल्फ-डिफेंस का प्रशिक्षण दिलवाया, जो कि एक विश्व रिकार्ड के रूप में दर्ज हुआ। इन कार्यों हेतु उप-राष्ट्रपति वैंकेया नायडू के हाथों दिल्ली के विज्ञान भवन में दिसंबर 2018 में 'चैंपियंस ऑफ चेंज' अवार्ड मिला। रायगढ़ पदस्थापना के दौरान रायगढ़ पुलिस ने अपराध नियंत्रण के साथ कोविड में प्रशंसनीय कार्य किया। पुलिस हेल्प-डेस्क के माध्यम से जरूरतमंदों को कोविड के प्रथम चरण में लगभग एक लाख और द्वितीय चरण में चालीस हजार सूखा राशन व फूड पैकेट्स उपलब्ध कराया गया। रायगढ़ पुलिस ने जनसहयोग से मॉस्क-जागरूकता के चर्चित अभियान 'एक रक्षा-सूत्र मास्क का' के तहत पिछले वर्ष रक्षाबंधन के दिन, एक ही दिन में 12.37 लाख मॉस्क बंटवाकर विश्व रिकार्ड बनाया, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड, एशिया बुक ऑफ रिकार्ड व इण्डिया बुक ऑफरिकार्ड आदि में दर्ज हुआ। कोरिया में इनके नेतृत्व में निजात अभियान के तहत नारकोटिक्स व ड्रग्स के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्यवाही व जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संतोष सिंह ने दोस्तों, पुलिस विभाग के सहकर्मियों और सीनियर्स का धन्यवाद ज्ञापित किया है, जिनके सहयोग और योगदान से यह अवार्ड मिला है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से कुपोषण की दर में आई गिरावट

पौष्टिक बिस्कीट, सूखा राशन, सोया चिकी और निरंतर निगरानी से आया सुधार

- **09 ग्राम और 33 आंगनबाड़ी केन्द्र हुए कुपोषण मुक्त**

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। 02 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के 150 जयंती के अवसर पर ''मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान'' का शुभारंभ किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 0-06 वर्ष तक के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करना व 15-49 वर्ष तक की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया को पूर्णरूपेण समाप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला गरियाबंद में किये गये विशेष प्रयास और कुपोषण मुक्ति गतिविधियों के कारण कुपोषण के दर में 1.5 प्रतिशत की कमी आई है। जहां अक्टूबर 2019 में कुपोषण की दर 19.93 प्रतिशत था, वहीं बीते माह यह प्रतिशत

घटकर 18.34 प्रतिशत हो गया है। साथ ही उपरोक्त गतिविधियों व प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिले के 9 ग्राम और 33 आंगनबाड़ी केन्द्र कुपोषण मुक्त हुए है। वर्तमान में 09 कुपोषण मुक्त ग्राम क्रमशः डुमरडीह, मोहतरा, थुहापानी, विजयनगर, बादीमार, खासरपानी, सनडबरी, पेण्ड्रा, लादाबाहरा है।

गतिविधियां व प्रयास

शासन के निर्देश एवं कलेक्टर निलेश क्षीरसागर के मार्गदर्शन में अभियान अंतर्गत जिले में संचालित 1460 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 0-06 वर्ष तक के 10571 मध्यम कुपोषित व 3644 गंभीर कुपोषित कुल 14215 बच्चो को लक्ष्य के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन बच्चो को 02 अक्टूबर 2019 से 12 मार्च 2020 तक पौष्टिक आहार (पौष्टिक बिस्किट सप्ताह में 06 दिवस, सोयाचिकी 02 दिवस व सप्ताह में 04 दिन घी) प्रदाय किया गया। बच्चो को कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में नाश्ता व गरम भोजन की जगह सूखा राशन (चांवल 30, गेंहू 25, चना/मटर/सोयाबीन /झुरगा की 20 ग्राम सूखी सब्जी व हरी पत्तेदार सब्जी, पापड़, आचार तथा 10 ग्राम गुड़) प्रदाय किया गया। 06 वर्ष आयु तक के बच्चो की एनीमिया जांच व 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं की एनीमिया जांच भी की गई है। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरक पोषण आहार योजना अंतर्गत 3-6 वर्ष के बच्चो को 750 ग्राम व महतारी जतन योजना गर्भवती महिलाओं को 900 ग्राम गर्म भोजन के स्थान पर अतिरिक्त मात्रा में टीएचआर का वितरण किया गया। विकासखण्ड मैनपुर व देवभोग के सभी 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में एक दिन के अंतराल में प्रति सप्ताह कुल 03 नग पौष्टिक सोया चिक्की प्रदाय किया जा रहा है।

पोषण स्तर में सुधार की कहानी

मैनपुर सेक्टर उरमाल के आंगनबाड़ी केन्द्र काण्डेकेला कु. योगिता जो कि जन्म के समय सामान्य श्रेणी में थी। कुछ समय पश्चात उसे कालाक्षीर नामक बीमारी हो गई थी। जिसके कारण बच्ची का वजन का स्तर निरंतर गिरता चला गया। ऐसे में बच्ची को पोषण पुनर्वास केन्द्र से लाभान्वित किया गया साथ ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत पौष्टिक बिस्किट व चिक्की उसे दिया गया जिसके कारण उसका पोषण स्तर बढ़ा आज बच्ची सामान्य श्रेणी में है। इसी तरह सेक्टर पीपरछेड़ी के आंगनबाड़ी केन्द्र डुमरबाहरा में बालिका कु. पूर्णिमा विश्वकर्मा जो कि जन्म से ही कुपोषित थी। उसकी मां को स्तनपान के सही तरीके समझाते हुए बच्ची को स्तनपान करवाया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से बच्ची के 06 माह से ऊपर होने पर उसे पौष्टिक बिस्किट प्रदाय किया गया तथा उसके पालको को निरन्तर सही देखभाल की सलाह दी गई। जिससे आज बच्ची सामान्य श्रेणी में है।

'गुरुकृपा सप्ताह' के रूप में मनाया जायेगा श्री शङ्कराचार्य जी का प्राकट्योत्सव

नवप्रदेश संवाददाता

सहसपुर लोहारा। सहसपुर लोहारा पूज्यपाद ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज का 98 वां पावन प्राकट्योत्सव 3 सितम्बर से 9 सितम्बर तक परमहंसी गंगा आश्रम, झोंतेश्वर, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश में 'गुरुकृपा सप्ताह' के रूप में मनाया जायेगा। शङ्कराचार्य जन कल्याण न्यास के प्रबंध ट्रस्टी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय एवं शङ्कराचार्य जन कल्याण न्यास के मिडिया प्रभारी पण्डित देव दत्त दुबे ने बताया कि शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी का प्राकट्योत्सव गुरुकृपा सप्ताह के रूप में झोतेश्वर परमहंसी गङ्गा आश्रम में बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जायेगा यह जानकारी 'श्री शंकराचार्य प्राकट्योत्सव समिति' के संयोजक ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानन्द जी ने दी।

कार्यक्रम का क्रम यह होगा

3 सितम्बर शुक्रवार गणेशपूजन, सहस्त्रमोदकार्चन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 4 सितम्बर शनिवार हिंगलाज सेना सम्मेलन , मनीष अग्रवाल के भजन, 5

सितम्बर रविवार सन्त विद्वत् सम्मेलन जानकी बैण्ड का गायन, 6 सितम्बर सोमवार

अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मण्डल सम्मेलन, 7 सितम्बर मंगलवार शङ्कराचार्य की जीवनी पर आधारित नाटक, 8 सितम्बर बुधवार गोरक्षा सम्मेलन , 9 सितम्बर गुरुवार को शङ्कराचार्य जी के निज सचिव सुबुद्धानन्द ब्रम्हचारी जी , दण्डी स्वामी सदानन्द सरस्वती जी गुजराज , दण्डी स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी ज्योतिर्मठ की गरिमामय उपस्थिति में पूज्यपाद शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज श्री के महाभिनन्दन के साथ ही शङ्कराचार्य जी का प्राकट्योत्सव बड़े ही धूम धाम से हर्षोल्लास पूर्वक परमहंसी गङ्गा आश्रम में गुरु भक्तों शिष्यों के साथ मनाया जावेगा ।

सातों दिन होंगे विविध सम्मेलन

चन्द्रप्रकाश उपाध्याय एवं पण्डित देव दत्त दुबे ने आगे बताया कि शङ्कराचार्य जी का प्राकट्योत्सव प्रति वर्ष भाद्र पक्ष की तृतीया हरितालिका तीज को मनाया जाता है जो इस वर्ष 9 सितम्बर को मनाया जावेगा । जिले भर से शङ्कराचार्य परम्परा को मानने वाले, शङ्कराचार्य जी के अनुयायी एवं शिष्य गण अपने-अपने साधनों से परमहंसी गङ्गा आश्रम पहुँच सकतें हैं , समस्त कार्यक्रम कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाया जावेगा । कार्यक्रम 3 सितम्बर को गणेश जी के पूजन और मोदकों से सहस्त्रार्चन के साथ ही कार्यक्रम आरम्भ हो जायेगा, जो 9 सितम्बर को पूज्यपाद महाराज श्री के महाभिनन्दन तक चलता रहेगा। इस बीच अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलन होंगे और देश, धर्म एवं समाज के हित के निर्णय लिये जायेंगे।

जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साहू ने सात मामलों के अपराधी तौकीर अहमद को किया जिला बदर

- **अपराधी एक साल तक नहीं कर सकेगा कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों में प्रवेश**

नवप्रदेश संवाददाता

कोरबा । जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिले के आदतन अपराधी तौकीर अहमद को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। रिस्दी निवासी 37 वर्षीय अपराधी तौकीर अहमद के विरूद्ध बालको थाने में सात अपराध विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। अपराधी 2007 से लगातार घर में घुसकर मारपीट, बलवा, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़ करने जैसी कई अपराधिक गतिविधियां करते आ रहा है। तौकीर अहमद के खिलाफबालको थाना में भारतीय दण्ड विधान की धारा 452, 294, 323, 506 बी, 147, 149, 186, 353, 323, 293, 506, 34, 148, 427, 452 सहित 384 एवं 385 धाराओं में सात अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अपराधी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत 107, 116 के तीन और धारा 110 के तीन प्रकरण भी दर्ज हैं। अपराधी के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कोरबा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने आदेश भी जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों में अपराधी तौकीर अहमद को कोरबा जिले और सीमावर्ती जिलों जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली और जशपुर जिले की सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। तौकीर अहमद को जिला दण्डाधिकारी न्यायालय कोरबा की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इन जिलो की सीमाओं में अगले एक वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं करने का भी आदेश दिया गया है।

झूला मंडली समिति को नई पोशाक मिलने पर चेहरे में आई खुशी

- **एसपी गर्ग को किया धन्यवाद ज्ञापित**

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग एवं श्रीमती जागृति गर्ग विगत दिनों कुकदूर थाना अंतर्गत सुदूर वनांचल ग्राम सिंगपुर के कबड्डी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुवे थे। इस दौरान ग्राम सिंगपुर के झुला मंडली डंडा नृत्य समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक को पोशाक की मांग किए थे। श्री

गर्ग ने झुला मंडली डंडा नृत्य समिति की मांग को पूरा करते हुवे 1 सितम्बर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में झुला मंडली डंडा नृत्य समिति को पोशाक एवं अन्य नृत्य सामग्री वितरण किया। पूर्व में भी कबड्डी खिलाड़ियों की मांग पर किट वितरण किया था। पोशाक मिलने पर समिति के सदस्यों के चेहरे में हर्ष व्याप्त हुवा और पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित किया।

उल्लेखनीय है कि लगातार पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग द्वारा सुदूर वनांचल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है और ग्रामीणों की चौपाल की माध्यम से समस्या का निराकरण किया जा रहा है।

माओवादियों ने किया आईईडी विस्फोट, एक जवान घायल

बीजापुर - नवप्रदेश। जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने आईईडी विस्फोट किया है, इस घटना में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर के पास माओवादियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी विस्फोट कर दिया। इस घटना में सीआरपीएफ का जवान शीलचन्द मिंज घायल हो गया है जो जसपुर निवासी है। घायल जवान का उपचार बासागुड़ा स्वास्थ्य केंद्र में किया किया गया। बासागुड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर ईलाज हेतु चौपर से रायपुर ले जाने की खबर। इस घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने किया है।

साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बालोद पुलिस ने आहूत की बैंक मैनेजर की मीटिंग

- **लोगों के पैसों की सुरक्षा ,पुलिस की प्राथमिकता**

गुंडरदेही। बालोद पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देश पर आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्री डी आर पोर्ते द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में बालोद जिले के सभी बैंक के ब्रांच मेनेजर्स की मीटिंग आहूत की गई। मीटिंग में साइबर नोडल अधिकारी श्री पोर्ते ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में बैंक के सभी ग्राहको का पैसा बचाना ,मीटिंग की पहली प्राथमिकता है । बैंको की सुरक्षा को अच्छा बनायें। बैंक और एटीएम पर गार्ड रखने ,बैंक के अलार्म सिस्टम को समय समय पर चेक करने ,सीसी टीवी कैमेरे को दुरुस्त करने ,छुट्टी के दिन बैंक की सुरक्षा व्यवस्था चेक करने बताया गया। बैंक के सामने होने वाली उठाईगिरी,साइबर ठगी के मामले में साइबर सेल को त्वरित डेटा उपलब्ध कराने तथा गांव में स्थित बैंकों को थाना प्रभारी के साथ आपस मे सतत संपर्क में रहने के लिए निर्देशित किया।।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर ठगी के मामले मे ,बैंक एवं पुलिस के मध्य तालमेल की आवश्यकता होती है ,इस मीटिंग का उद्देश्य पुलिस एवं बैंक के मध्य समन्वय को स्थापित करना है ।

इस दौरान बैंक मैनेजरों ने भी अपने प्रश्नों के उत्तर जाने ।

मीटिंग में बालोद जिले के विभिन्न बैंको के लगभग 40 बैंक मैनेजर उपस्थित थे ।

साइबर सेल से साइबर सेल प्रभारी रोहित मालेकर निरीक्षक ,प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन्द्र व पुरन देवांगन आदि उपस्थित थे।